DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPER: Hindustan Times ---DATED- NEW DELHI WEDNESDAY FEBRUARY 15, 2023

Govt pulls up official over land demarcation

HT Correspondent
letters@hindustantimes.com

NEW DELHI: Delhi revenue minister Kailash Gahlot on Tuesday pulled up district magistrate (south) Monica Priyadarshini over her alleged "inaction" on an order to carry out a fresh demarcation exercise of the Mehrauli Archaeological Park, around which authorities have been demolishing illegal buildings that have mushroomed over the past years.

Demarcation is an exercise intended to establish the extent of the area under the legal owner's right on the land, which is carried out by the revenue department.

On Saturday, Gahlot issued an order to the DM, directing her to carry out the fresh demarcation exercise and was advised to inform Delhi Development Authority (DDA) officials about the government orders.

In a letter dated Tuesday, the minister said, "I am informed that none of the directions have been complied with. In the face of large-scale demolition by DDA, such non-compliance by DM (south) with regard to demarcation exercise which is the basis for carrying out demolition activities makes the DM (south) complicit in the whole affair."

> In the face of demolition by DDA, non-compliance makes the DM complicit in the whole affair.
>
> **KAILASH GAHLOT,** revenue minister

He added: "DM (south) is once again directed to comply with the directions contained in my order with immediate effect under intimation to my office."

HT has seen a copy of the letter.

The DM did not respond to requests for comment.

Gahlot also sent a copy of the fresh order to DDA, reiterating that the demolition drive cannot be carried out without a fresh demarcation exercise.

A revenue department official said, "The demolition is a quasi-judicial operation and the last demarcation was done in December 2021. The appellate authority in this case is SDM Saket, who has not received any appeal or objection from the recorded owners (DDA) or any other stakeholders against the demarcation."

The 2021 demarcation was done on DDA's request by the revenue department of the Delhi government, said a government official who added the purpose was to determine land ownership and illegal encroachments.

THE TIMES OF INDIA, NEW DELHI
WEDNESDAY, FEBRUARY 15, 2023

Inmates At Shelter Fight For Roof Over Head

SARAI KALE KHAN: Say No Alternative Site Provided, Decide To Move Court Against Proposed Demolition

Vibha.Sharma
@timesgroup.com

Photos: Tarun Rawat

New Delhi: The recent decision of Delhi Urban Shelter Improvement Board to demolish a night shelter adjacent to Delhi Development Authority's first bamboo park near the Sarai Kale Khan bus terminal triggered a controversy on Wednesday morning.

The shelter inmates called the action "unjustified", as did Indu Prakash Singh, member of State Level Shelter Monitoring Committee (SLSMC). At a gathering at the night shelter on Tuesday night, a decision was taken to oppose the demolition and to approach the Supreme Court and Delhi High Court. Singh informed the shelter residents that the structure was going to be demolished without an alternative site being provided.

"The shelter will be removed to create a smooth entrance to Baansera, the bamboo park developed by DDA. But no alternative space has been provided for the shelter, leaving numerous homeless people without a roof," said Singh. SLSMC was constituted on the order of the Supreme Court in 2018.

Singh told the gathering, "An agenda was placed at the DUSIB meeting on Monday in which the approval of SLSMC was sought to bring down the homeless shelter. When no place to shift to was provided, I strongly opposed the move. While police have called the shelter inmates 'criminals', DDA plans to demolish the home to create a passage for a dream project for the G20 events." DDA did not respond to TOI's queries on an alternative site for the shelter.

Tuesday's gathering was arranged to document the voices of the affected people who were living in the facility for years. RD Sharma remonstrated, "We are not criminals and if police have any allegations, they must list the people with criminal records living here." Girish Tiwari added, "We might be poor and homeless but that doesn't mean we are all thieves. If police already have such a perception about us, who can we then pursue in case of need?"

In a letter to DUSIB's deputy director on January 31, a copy of which is with TOI, the executive engineer of DDA's horticulture department wrote, "The LG's secretariat has given directions on January 25 to shift the night shelter located at the entrance of the bamboo park. It is also intimated that the Baansera site has been selected for one of the meetings related to the G20 summit in Delhi. Therefore, action should be taken on an urgent basis."

On February 7, Delhi Police wrote to the shelter board CEO stating that the crime trend in the vicinity of night shelter home suggested a gradual increase in thefts, snatchings and robberies since 2014 (the year when the shelter was set up) and, therefore, it would be better to shift the shelter to another location. "The accommodation has become a favourite hideout for bad characters and history sheeters," the DCP (South-East) wrote. Asked about this, police officers claimed it was only an 'observation' sent to the authority concerned.

On February 9, an email was sent to the civil division for the identification of a designated place where the homeless shelter could be shifted. The response was that no such place was currently available. The meeting on Monday therefore had an item asking for a proposal to be submitted to SLSMC "to allow the removal of the shelter without an alternative location". The DUSIB CEO was not available for a comment.

SLSMC chairman Ramesh Negi, meanwhile, said that the committee considered the proposal to remove the home altogether provided the inmates were shifted to another shelter with minimal inconvenience and nobody was rendered homeless.

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

दैनिक जागरण
नई दिल्ली, 15 फरवरी, 2023

तीसरी रिंग रोड के निर्माण में भी लैंडफिल साइट के कचरे का किया जाएगा इस्तेमाल

एनएचएआइ ने एमसीडी को पत्र लिख लैंडफिल साइट के कचरे की उपलब्धता पूछी

संजीव गुप्ता • नई दिल्ली

दिल्ली की तीसरी रिंग रोड कही जाने वाली अर्बन एक्सटेंशन रोड (यूईआर)-दो के निर्माण में भी लैंडफिल साइटों के कचरे का इस्तेमाल होगा। कचरे की उपलब्धता के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआइ) ने एमसीडी को पत्र लिखा है। पत्र में यूईआर-दो के दो हिस्सों के लिए 3.64 लाख मीट्रिक टन कचरा उपलब्ध कराने को कहा गया है। विशेषज्ञों के अनुसार, यह कचरा सड़कों को मजबूती देता है।

बता दें कि यूईआर-दो (एनएच 344) 74.98 किमी लंबी रोड है। सबसे पहले वर्ष 2000 में दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने इस रोड की परिकल्पना की थी। मूर्त रूप दे पाने में नाकाम रहने पर 2018 में इसे एनएचएआइ को सौंप दिया था। इस रोड के निर्माण के लिए डीडीए एनएचएआइ को लगभग 4,000 करोड़ रुपये की मदद करेगा। यूईआर-दो को पांच हिस्सों (पैकेजों) में बांटकर तैयार किया जा रहा है। रिंग रोड के तीसरे और चौथे पैकेज के निर्माण में गाजीपुर और ओखला लैंडफिल साइट के कचरे का इस्तेमाल होगा। एनएचएआइ के परियोजना निदेशक कार्यालय ने एमसीडी के मुख्य अभियंता (प्रोजेक्ट) को पत्र लिखकर पैकेज तीन के लिए तीन लाख मीट्रिक टन जबकि पैकेज चार के लिए 65 हजार मीट्रिक टन कचरे की जरूरत जताई है। साथ ही संबंधित एजेंसियों को इसकी उपलब्धता सुनिश्चित कराने को कहा है। पत्र में एनएचएआइ ने लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पीएम गति शक्ति मिशन की पिछली प्रगति बैठक में यूईआर-दो प्रोजेक्ट की भी समीक्षा की थी। उन्होंने आजादी के अमृत महोत्सव के तहत इस प्रोजेक्ट को भी 15 अगस्त 2023 तक पूरा करने की इच्छा जताई थी। बता दें कि एनएचएआइ दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेस-वे के निर्माण में भी 60 लाख मीट्रिक टन कचरे का इस्तेमाल करेगा।

गाजीपुर स्थित लैंडफिल साइट • जागरण

दो फेज में बनेगी रोड

पहले फेज के तहत 49 किलोमीटर रोड का निर्माण होगा। यह पानीपत से दिल्ली जाने वाले नेशनल हाईवे एक से होकर बाहरी दिल्ली से होते हुए एनएच आठ (दिल्ली-गुरुग्राम) होते हुए नेल्सन मंडेला मार्ग तक बनाई जाएगी। दूसरे चरण में इसे एनएच दो बदरपुर से जुड़ने वाले नेशनल हाईवे से जोड़ा जाएगा।

ऐसे मिलेगा लाभ

इस रोड से दिल्ली के बाहरी इलाकों से होते हुए वाहन पश्चिमी दिल्ली से दक्षिणी दिल्ली तक जा सकेंगे। इस रोड का निर्माण होने के बाद दिल्ली के बाहरी हिस्सों में मिलने वाले चारों नेशनल हाईवे भी इससे जुड़ जाएंगे। इसके जरिये आइजीआइ एयरपोर्ट और गुरुग्राम से लोग एनएच-44 तक भी आसानी से पहुंच सकेंगे। इसके अलावा चंडीगढ़, पंजाब और जम्मू-कश्मीर जाने वाले लोगों का सफर भी आसान होगा।

यूईआर-दो का रूट

पहले चरण में यह रोड एनएच- एक दिल्ली-अंबाला राजमार्ग पर नरेला से शुरू होगी जो रंगपुरी शिव मूर्ति के पास एनएच- आठ यानी दिल्ली जयपुर राजमार्ग से मिलेगी। आगे यह एनएच- दो यानी दिल्ली-मथुरा राजमार्ग भी जुड़ेगी। साथ ही बाहरी, पश्चिमी, दक्षिणी दिल्ली में डीडीए की प्रस्तावित लैंडपूलिंग आवासीय योजना के लिए भी एक नया मार्ग मिल जाएगा।

अतिक्रमण के खिलाफ डीडीए के बुलडोजर पर रोक, एलजी ने जारी किया आदेश

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली: तीन-चार दिन से चल रही सियासी सरगर्मियों के बीच एलजी वीके सक्सेना ने मंगलवार को अतिक्रमण के खिलाफ चल रही डीडीए की कार्रवाई पर रोक लगा दी। उन्होंने महरौली और लाडो सराय गांव के सैकड़ों परिवारों को बड़ी राहत देते हुए अगले निर्देश तक ध्वस्तीकरण अभियान को रोकने का आदेश जारी किया।

इन गांवों के निवासियों का एक प्रतिनिधिमंडल एलजी से मिला था। उन्होंने इन क्षेत्रों में भूमि के सीमांकन की विसंगतियों का हवाला देते हुए राहत की मांग की थी। राजनिवास के मुताबिक भूमि का सीमांकन 2021 में आप सरकार द्वारा किया गया था। एलजी ने डीडीए के उपाध्यक्ष सुभाशीष पांडा को निर्देशित करते हुए स्थानीय प्रशासन को तुरंत कार्रवाई को रोकने का आदेश दिया। साथ ही लोगों को आश्वासन दिया कि उनकी शिकायतों पर गौर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जमीन के सही मालिक के साथ कोई अन्याय नहीं होगा। लोगों की शिकायतों की जांच में यदि किसी स्तर पर अधिकारियों की ओर से कोई गड़बड़ी पाई जाती है, तो दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एलजी ने यह भी दोहराया कि जो निवासी कानूनी रूप से सही हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।

उपराज्यपाल ने कार्रवाई रोककर बड़ी राहत दी: भाजपा

राब्यू, नई दिल्ली: उपराज्यपाल द्वारा महरौली में अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई रोकने के आदेश का भाजपा ने स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि एलजी ने लोगों ने बड़ी राहत दी है। मंगलवार दोपहर भाजपा प्रदेश प्रभारी बैजयंत जय पांडा, कार्यकारी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा व सांसद रमेश बिधूड़ी के साथ एलजी वीके सक्सेना से मिलकर कार्रवाई रोकने की मांग की थी। उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार की लापरवाही के कारण महरौली में लोगों के मकान तोड़े गए हैं। भाजपा नेताओं ने कहा कि जहां पर अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई की गई है, वहां अधिकांश लोग लगभग 40 वर्षों से रह रहे हैं।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS Hindustan Times -DATE NEW DELHI WEDNESDAY FEBRUARY 15, 2023 -

Mehrauli demolitions: LG tells DDA to pause, examine papers

Alok KN Mishra and Sadia Akhtar
letters@hindustantimes.com

People gather around a backhoe loader demolishing a residential building in Mehrauli on Tuesday. RAJ K RAJ/HT PHOTO

NEW DELHI: Delhi's lieutenant governor (LG) VK Saxena on Tuesday directed the Delhi Development Authority (DDA) to stop the ongoing demolition drive in villages around the Mehrauli Archaeological Park until further instructions, officials in the LG office said.

The direction from the LG, who is also the chairman of DDA, came after a group of residents from the affected areas met him as part of a Bhartiya Janta Party (BJP) delegation, and sought relief from the drive which has affected thousands of people in the neighbourhood and left many more in suspense over the fate of their homes.

After the meeting, Saxena directed the vice-chairman of DDA and the local administration to halt the drive, assured residents that their grievances will be looked into, and told them that anomalies pointed out by them – in the demarcation of land by the Delhi government's revenue department in 2021, and that many of the affected residents have legal ownership documents – will be ironed out.

The anti-encroachment drive has so far impacted 135 houses, according to police officers. Till Monday evening, officials had said they "reclaimed" 4,180.6 square metres of land from Ladha Sarai village and areas around it. It was not clear how many more houses were on the radar.

The demolition began last Friday, in the wake of a proposed G20 meeting at the park in South Delhi that has around 55 monuments under the protection of DDA, the state archaeological department, and the Archaeological Survey of India. Officials of Delhi's land-owning agency have so far insisted that the action is in consonance with directions by the Delhi high court, which has, several times in the past few years, ordered that encroached land be cleared.

The BJP delegation to the LG included the party's national vice president Baijayant Jay Panda, Delhi BJP working president Virendra Sachdeva, and south Delhi MP Ramesh Bidhuri.

Panda blamed mismanagement by the Aam Aadmi Party (AAP) for the drive.

"The demolition was done due to the wrong demarcation done by the Delhi government revenue department. The affected home owners of Mehrauli, who were part of the meeting (with LG) shared their concerns about ongoing demolition drive. We are committed to helping people resolve their issues. The AAP back-stabbed the people of Mehrauli by wrongly demarcating homes which were officially registered for half a century. BJP stood with residents and supported them. A fresh demarcation will be done according to law, and there will be no injustice to anyone," Panda said.

Since the drive began, the AAP has been vehemently opposing it, and has claimed that the BJP carried out the demolitions because it had lost the December 2022 Municipal Corporation of Delhi elections.

Revenue minister Kailash Gahlot, too, has termed the demarcation drive flawed, and ordered the district magistrate (south) to carry out fresh demarcation.

No comment was available on Tuesday from DM (south) Monica Priyadarshini. A revenue department official, however, said: "It is a quasi-judicial operation and the demarcation was done in December 2021. The appellate authority in this case is SDM Saket who has not received any appeal or objection from recorded owners (DDA) or any other stakeholders against the demarcation. Since the revenue assistant did not receive any appeal against the December 2021 demarcation, no case was instituted for re-demarcation of the land."

Officials in the LG office said that, after hearing the grievances of the residents, Saxena assured them that no injustice will be done to any rightful owner of land. The LG said the residents' complaints will be thoroughly examined and if any misdeed on part of any official was found, strict action will be taken against the erring officials. Saxena, however, reiterated that any illegal encroachment or unauthorised occupation surrounding the heritage monuments will be removed, in line the orders of the high court, the officials added.

In response to Panda's charges, AAP chief spokesperson Saurabh Bharadwaj said in a tweet: "If BJP and LG saab is back-stabbed by AAP, what stops your LG saab to dismiss all officers of revenue (department) & DDA who were involved in this demolition. Challenge accepted ?" In another tweet, he said: "What has happened today is the victory of AAP and people of Delhi. BJP had lately realised that their LG saab is making them unpopular every passing day."

Earlier on Tuesday, DDA continued its demolition drive in Mehrauli's Ward No 1, razing a two-storey house next to Gurdwara Baba Banda Singh Bahadur, and several other smaller houses in the area.

Last week, DDA officials brought down several multi-storey buildings and other houses in Mehraul's Ward No. 8 of Mehrauli, leading to protests from residents who claimed they were caught unawares, and were not given a chance to seek relief.

One resident, Neha Khan, for instance, said that her two storey-house adjacent to the gurdwara was demolished even as the family approached court seeking relief.

"We have lived here for decades and have all the documents including the electricity bill. The land is registered. We approached the court today but despite our pleas, they went ahead and demolished our house. We have nowhere else to go now," said Khan, while comforting her mother who cried inconsolably.

One of Khan's neighbours also received a notice, but her building was not demolished on Tuesday. Shweta Rathi, 33, said that she was born and brought up in the house. "My parents lived in this house. I grew up here too. We have all the documents and the land registered. Suddenly, they woke up and realised that there is an issue. The government is offering a helping hand in Turkey to people whose houses were destroyed but our houses are being demolished houses here," she said.

HC directs DDA to extend status quo at some buildings till Feb 16

NEW DELHI: The Delhi high court on Tuesday directed the Delhi Development Authority (DDA) to extend status quo on its demolition drive at several properties in south Delhi's Mehrauli till February 16, and censured the agency for not making the demarcation report of the area public. Justice Manmeet Pritam Singh Arora, while hearing a batch of 15 pleas against the drive, asked DDA to file its counter affidavit in the matter, while granting petitioners the opportunity to meet with the deputy director of land management at DDA's office at 3.30pm on Wednesday to verify their title deeds. The matter will next be heard on Thursday.

The court also extended the status quo at the Gosiya Slum Colony till Friday after DUSIB said it is in their list of jhuggi clusters and residents are eligible for rehabilitation.

HTC

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

THE INDIAN EXPRESS, WEDNESDAY, FEBRUARY 15, 2023

ACTION AGAINST 'ENCROACHMENT' IN MEHRAULI

When Board exams meet a demolition drive

VIDHEESHA KUNTAMALLA
NEW DELHI, FEBRUARY 14

(From left) Samra; Sanya; Tanya Idrishi, Sanya Idrishi, Samra and Shaheen Idrishi

BOARD EXAMINATIONS underway as their families served eviction notices amid the DDA's demolition drive in Mehrauli, students in classes X and XII are a desperate lot.

"I have my Urdu exam on February 24. Just 10 days to go, and looking at my house, I am not in a state to prepare for anything right now," said Samra, as her family gathered their belongings and dumped them into an open space behind their home, after they were asked by the authorities to vacate the premises as soon as possible.

Samra, 15, is a 10th grade student from the Sarvodaya Kanya Vidyalaya No. 2 in Mehrauli's Main Bazar. She was born and brought up in this house, and lives in a joint family of 15-plus members.

"They should at least wait until our exams end. I am so disheartened looking at my family right now that I am not able to focus. I have not been to school in four days now as I was helping them pack our belongings," she said.

Right behind her house, near Jameela Masjid, shanties were demolished with a bulldozer on Tuesday as Samra broke down. "Where will we go when it gets dark; our belongings are all in the open?"

Her family said they have lived here for over 40 years.

"Her grandmother, Bilkis Begum (70), said: "We have all the registry papers but no one is ready to take a look at them."

Shaheen Idrishi, 18, walked towards Jameela Masjid, right next to her home, holding a Quran in her hand, as her family vacated the premises. All that remained at their home was a cot and empty cupboards. "We don't want to disrespect the Quran by placing it in our broken home," Idrishi said.

Idrishi, a class 12 student studying at Sarvodaya Kanya Vidyalaya in Mehrauli, has also lived in this house all her life. "I have my Hindi exam on February 20 but I am distracted. We want to place a demand to postpone our exams. I have been picking up household belongings instead of my books the past few days. How can one study here?"

Idrishi's sister Tanya, who is in the 10th grade in the same school, said they have expressed concerns with their school, but haven't heard back.

Both sisters dream of becoming air hostesses.

"I have not been to school in three days. An entire year of my career will go waste if the exams are not postponed," said Sanya, another class 12 student from Ramanujan Sarvodaya Kanya Vidyalaya.

She is the youngest of three siblings and her family has lived here for three decades.

Many class 10 students also said they might not be able to choose a stream of their choice if they don't score enough.

"There are many students in Mehrauli going through the same," Sanya said.

On Tuesday evening, the residents of Mehrauli shared that they got a stay order of three days after the L-G intervened.

दैनिक जागरण नई दिल्ली, 15 फरवरी, 2023

ध्वस्तीकरण पर कल तक बनाए रखें यथास्थिति : हाई कोर्ट

- डीडीए को संपत्तियों की सीमांकन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश
- आदेश के बाद कल तक नहीं चलेगा डीडीए का बुलडोजर

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली: महरौली इलाके की विभिन्न संपत्तियों के खिलाफ दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) की ध्वस्तीकरण की कार्रवाई पर दिल्ली हाई कोर्ट ने 16 फरवरी तक यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की पीठ ने ध्वस्तीकरण अभियान के खिलाफ दायर विभिन्न याचिकाओं पर मंगलवार को सुनवाई की। अदालत ने यथास्थिति का आदेश पारित करते हुए डीडीए को बुधवार तक संपत्तियों के संबंध में सीमांकन रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। अदालत ने इस दौरान सीमांकन रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं करने पर सवाल उठाया।

ध्वस्तीकरण से जुड़ी अन्य याचिका पर मांगा जवाब: वहीं, दूसरी तरफ महरौली पुरातत्व क्षेत्र में नई सीमांकन रिपोर्ट तैयार होने तक ध्वस्तीकरण अभियान पर रोक लगाने की मांग वाली एक अन्य याचिका पर न्यायमूर्ति मिनी पुष्कर्णा की पीठ ने दिल्ली सरकार व डीडीए से जवाब मांगा है। ध्वस्तीकरण की कार्रवाई में हस्तक्षेप करने से इन्कार करते हुए न्यायमूर्ति मिनी पुष्कर्णा ने नोटिस दिया। अगली सुनवाई 17 फरवरी को होगी। याचिका महरौली की एक संस्था ने दायर की है।

संबंधित खबर » जागरण सिटी

दक्षिण दिल्ली के डीएम ने मामले को बनाया जटिल : सरकार

राब्यू, नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने महरौली तोड़फोड़ अभियान को रोक पाने में असफल रहने पर जिलाधिकारी (दक्षिण) की खिंचाई की है। राजस्व मंत्री कैलाश गहलोत ने मंगलवार को दिए आदेश में कहा कि डीडीए द्वारा बड़े पैमाने पर तोड़फोड़ के बाद सीमांकन के संबंध में डीएम (दक्षिण) ने इस मामले में निष्क्रियता दिखाई। उन्होंने मामले को जटिल बना दिया है। इसलिए उन्हें फिर निर्देश दिया गया है कि वे तत्काल प्रभाव से नए सिरे से सीमांकन अभ्यास शुरू करने के निर्देशों का पालन करें।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

दैनिक जागरण नई दिल्ली, 15 फरवरी, 2023

साहब बोले हमारे पास नहीं है रजिस्ट्री का रिकार्ड, पांचवें दिन भी चला बुलडोजर

अतिक्रमण स्थल से 200 मीटर की दूरी पर है तहसील व थाना

- महरौली वार्ड-8 के लोगों को भी सता रहा है डीडीए की कार्रवाई का डर
- महरौली वार्ड-2 में लोगों ने अरावली पहाड़ियों पर जमाया हुआ है कब्जा

जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्लीः महरौली में 5वें दिन भी दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने अतिक्रमण पर बुल्डोजर चलाया। बस स्टैंड के पास भूल-भुलैया के निकट तीन दशक पुरानी कालोनी महरौली वार्ड नंबर-1 पर मंगलवार को भी कार्रवाई जारी रही। सोमवार को ध्वस्त किए गए मकानों के मलबे को हटाया गया। इसके बाद छह मकान और पांच दुकानों को ध्वस्त किया गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह कालोनी दो दशक से ज्यादा पुरानी है।

अब सवाल उठ रहा है कि डीडीए ने अपनी इस जमीन की चिंता पहले क्यों नहीं की? जमीन पर कब्जे के जिम्मेदार अधिकारियों पर क्या कार्रवाई की जा रही है? उधर, डीडीए दस्ते के साथ मौजूद एसडीएम महरौली डा. शशिपाल डबास का कहना है कि इन लोगों की रजिस्ट्री का रिकार्ड प्रशासन के पास नहीं है। उधर, लोग अपनी रजिस्ट्री के दस्तावेज डीडीए कर्मचारियों व प्रशासनिक अधिकारियों के समक्ष पेश कर रहे हैं।

महरौली स्थित बस टर्मिनल के पास अतिक्रमण हटाता डीडीए का बुलडोजर • जागरण

अतिक्रमण स्थल से 200 मीटर की दूरी है तहसील और थानाः खास बात यह है कि डीडीए का यह अतिक्रमण अभियान जिस स्थान पर चल रहा है, वहां से तहसील और थाने की दूरी महज 200 मीटर है। महरौली गांव के 64 वर्षीय रवि का कहना है कि आखिर अभी तक ये सब कहां थे? ग्रामीणों ने अतिक्रमण के खिलाफ कई बार प्रदर्शन किया है, लेकिन उनकी आवाज को दबा दिया जाता था। जमीनों की रजिस्ट्री के कागज इसी प्रशासनिक भवन से आगे बढ़े हैं। इसके बाद सब रजिस्ट्रार ने इसकी रजिस्ट्री की। बीस वर्ष में पूरे क्षेत्र में सैकड़ों की संख्या में अवैध मकान बन गए और किसी के कान में जूं तक नहीं रेंगी। तहसील और थाने की नाक के नीचे डीडीए की जमीन पर भू-माफिया का कब्जा होता रहा और प्रशासनिक अमला हाथ पर हाथ धरे बैठा रहा। आरोप है कि दो दशकों में स्थानीय नेताओं और अफसरों की सांठगांठ से अरावली की गोद में पूरी बस्ती की बस्ती बस गई।

वार्ड-8 की एक कालोनी में हाई कोर्ट स्टे की मियाद पूरी

महरौली वार्ड-8 के निवासियों में इस बात का भय है कि डीडीए का बुलडोजर कभी भी उनकी ओर रुख कर सकता है। वार्ड-8 में एक सोसायटी के स्टे की अवधि खत्म हो चुकी है। बाकी दो अन्य कालोनी के लोगों का एक-एक दिन मुश्किल से कट रहा है। महरौली वार्ड-2 में लोगों ने अरावली पहाड़ियों पर कब्जा जमा रखा है। इस क्षेत्र को डेसू के नाम से भी जाना जाता है। कभी इस पूरे क्षेत्र में वन थे। यहां कूड़ा डलने के बाद अतिक्रमण की शुरुआत हुई।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

THE INDIAN EXPRESS, WEDNESDAY, FEBRUARY 15, 2023

Delhi L-G tells DDA to stop demolition

EXPRESS NEWS SERVICE
NEW DELHI, FEBRUARY 14

FIVE DAYS after bulldozers landed in Mehrauli to demolish illegal homes and shops, leaving dozens without a roof over their head, Delhi Lieutenant-Governor Vinai Kumar Saxena ordered the Delhi Development Authority (DDA) to cease its demolition drive till further orders.

This followed a meeting with residents of Mehrauli and Ladha Sarai villages in South Delhi.

Saxena directed the DDA vice-chairman and the local administration to "immediately" stop the drive and assured the residents that their grievances, as well as any anomalies related to the demarcation of land, would be examined.

The L-G, Raj Niwas officials said, assured the delegation that "no injustice" will be done to any rightful owner of land. Saxena also assured strict action for any "misdeed" by a government official in this connection.

However, Saxena reiterated that while no action would be taken against "legal and rightful occupants", any illegal encroachment or unauthorised occupation surrounding heritage monuments will be removed.

FULL COVERAGE
PAGE 6

L-G asks DDA to hit brakes on bulldozers

EXPRESS NEWS SERVICE
NEW DELHI, FEBRUARY 14

LIEUTENANT-GOVERNOR Vinai Kumar Saxena Tuesday ordered the Delhi Development Authority (DDA) to stop its demolition drive at Mehrauli and its adjacent Ladha Sarai village till further instructions.

Saxena's orders came on the fifth day of the drive. They also included directions to carry out a fresh demarcation exercise in the area following what Raj Niwas sources termed were 'anomalies' in the process, dating back to a similar exercise by the Delhi government in 2021, cited by residents during their conversation with the L-G.

Saxena's orders came on the fifth day of the drive. *Tashi Tobgyal*

Saxena, in his capacity as the DDA chairman, directed the body's vice chairman and the local administration to "immediately" stop the demolition drive and assured the residents that their grievances would be looked into and the anomalies pointed out by them examined.

"Having heard the grievances of the residents at length, the L-G assured them that no injustice will be done to any rightful owner of land. He said the residents' complaints will be thoroughly examined and if any misdeed on part of any official was found, strict action will be taken against the erring officials," a Raj Niwas official said.

The L-G, however, reiterated that while no action will be taken against legal and rightful occupants, any illegal encroachment or unauthorised occupation surrounding the heritage monuments will be removed forthwith, in pursuance of the orders of the Delhi High Court in this regard.

Meanwhile, the Delhi government said Gahlot had pulled up DM (South) for 'inaction' on the drive. Gahlot had directed the DM to carry out a "fresh demarcation of the disputed area" last Saturday.

"DM (South) neither complied with the demarcation order, nor asked the DDA to stop making them clearly complicit in the demolition drive," Gahlot alleged.

Politics around the episode continued to simmer with the BJP, which claimed credit for leading the delegation of affected village residents to Raj Niwas, thanking him for the move and the AAP accusing the BJP of having attempted to "tarnish the image" of CM Arvind Kejriwal.

BJP Delhi spokesperson Praveen Shankar Kapoor said BJP national vice president Baijayant Jay Panda had taken the initiative to arrange the meeting and led the residents along with Delhi BJP working president Virendra Sachdeva and South Delhi MP Ramesh Bidhuri to Raj Niwas.

"The L-G has given great relief to the people by assuring them he would stop the demolition with immediate effect. It is regrettable that many houses were demolished due to the negligence of the Delhi government," Panda said.

AAP Malviya Nagar MLA Somnath Bharti alleged that the BJP's claim that the AAP government had anything to do with the Mehrauli demolition "clearly shows their malice and falsehood driven agenda".

Status quo on demolition after 15 pleas by residents

New Delhi: In a batch of 15 pleas against the Delhi Development Authority demolition drive with respect to various properties in Mehrauli, the Delhi High Court Tuesday directed the continuation of status quo on the demolition action until Thursday.

A drive was carried out in Mehrauli ward number 1, opposite Adham Khan's tomb Monday.

A single judge bench of Justice Manmeet Pritam Singh Arora directed each of the petitioners in the batch along with their respective counsels to meet the Deputy Director of Land Management at DDA's office at 3.30 pm on Wednesday for verification of their respective title deeds. The HC has directed the authority to file a demarcation report on the subject properties by 12 pm Wednesday. With these directions, the HC said that status quo on the demolition action will continue till February 16. Justice Arora asked DDA why the demarcation report was not shared with residents, asking them for a copy so residents can raise objections if any. **ENS**

WWW.INDIANEXPRESS.COM
THE INDIAN EXPRESS, WEDNESDAY, FEBRUARY 15, 2023

Headache for officials preparing for G20: 6k potholes, 7k manholes

GAYATHRI MANI
NEW DELHI, FEBRUARY 14

MAJOR ARTERIAL roads and colony roads appear to be unsafe for both vehicle users and pedestrians, as government data reveals that the national capital has 6,233 potholes and 7,728 uncovered/uneven manholes on the stretch maintained by the Public Works Department (PWD) and Municipal Corporation of Delhi (MCD).

As per the report, on average, there are at least three potholes every kilometre. The report said there are 6,233 potholes across the city, of which 2,146 potholes are on the PWD roads, besides broken and uneven stretches. Of the total, 817 potholes are on 102 roads in the South zone, spread across 379.74 km. There are 761 potholes on East Delhi's 220 roads, and 568 potholes on 73 roads under North Delhi.

As per officials, 61 per cent of the potholes have been repaired in the East zone, 51 % in South and 53% in North, where the work is held up due to sewer line laying by the Delhi Jal Board (DJB).

Meanwhile, MCD roads, which are 30 feet wide, have 4,783 potholes. The areas under MCD are divided into ten zones with 4,087 potholes on 46.37 km. The most — 2,500 potholes — have been identified in the Najafgarh zone.

The report shows that the MCD has only completed 5.23% of the repair work on these damaged roads, the deadline of which is March 31.

Similarly, a large number of open/uncovered/precast slabs manholes were found in MCD areas, which are mostly colony roads, the report said. There are 4,783 manholes in dire need of repair and maintenance, it said, adding that the corporation has only repaired 3.67 per cent of manholes.

L-G Vinai Kumar Saxena has asked all departments, including PWD, MCD, DDA and other road agencies, to repair these roads before the G20 Summit. Targets and timelines have been set for completing the work. "We are working on fixing all these roads and are trying to complete them by the targeted date. There is a fund issue, we also require funds for the major road repair and maintenance work. The works are closely monitored by the L-G," said officials, adding that 487 roads spread over 526.601 km of roads are going to get new resurfacing.

While resurfacing roads, potholes, and broken and uneven patches will also be fixed with bitumen layering, added the officials. "Work is already under process and nearly 45 per cent is completed. The tendering process is going on for further repairs," said a PWD official.

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS---- हिन्दुस्तान ---- नई दिल्ली, बुधवार, 15 फरवरी 2023

आदेशः महरौली में अतिक्रमण हटाने के अभियान पर रोक

नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। महरौली और उसके आसपास पिछले पांच दिन से अतिक्रमण के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान पर उपराज्यपाल (एलजी) ने मंगलवार शाम को रोक लगा दी।

दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) का बुलडोजर यहां कई संपत्तियां गिरा चुका है। इस कार्रवाई को रोकने के लिए दिल्ली सरकार और भाजपा नेताओं ने एलजी से गुहार लगाई थी। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने डीडीए को निर्देश दिए हैं कि अगले आदेश तक तोड़फोड़ न की जाए। यहां रहने वाले लोगों के लिए यह बड़ी राहत है।

उपराज्यपाल से मिले स्थानीय लोग : सूत्रों के अनुसार, इन गांवों में रहने वाले लोग डीडीए द्वारा की जा रही तोड़फोड़ को लेकर उपराज्यपाल से मिलने गए थे। उन्होंने उपराज्यपाल को बताया कि उनके साथ किस तरह से गड़बड़ी हुई है और उनके आशियाने को उजाड़ा जा रहा है। उन्होंने उपराज्यपाल को बताया कि दिल्ली सरकार द्वारा वर्ष 2021 में सीमांकन में हुई गड़बड़ी के चलते यह तोड़फोड़ हो रही है।

तुरंत तोड़फोड़ को रोकने के निर्देश दिए : उपराज्यपाल द्वारा डीडीए के उपाध्यक्ष को निर्देश दिए गए हैं कि वह तुरंत तोड़फोड़ को रोक दें। उन्होंने लोगों को आश्वस्त किया कि उनके द्वारा उठाए गए बिंदुओं को लेकर छानबीन करवाई जाएगी।

उपराज्यपाल की तरफ से लोगों को बताया गया कि मकान मालिकों के खिलाफ कार्रवाई फिलहाल नहीं होगी लेकिन हाईकोर्ट के आदेश का पालन करते हुए संरक्षित इमारतों के आसपास से अवैध कब्जे को हटाया जाएगा।

> दर्द दे गया बुलडोजर P05

किसी के साथ अन्याय नहीं होगा : एलजी

उपराज्यपाल की तरफ से लोगों को आश्वासन दिया गया है कि उनकी परेशानियों का ध्यान रखा जाएगा और किसी भी मकान के मालिक के साथ अन्याय नहीं होगा। उन्होंने यह भी कहा कि अगर किसी अधिकारी द्वारा इस मामले में गड़बड़ी किये जाने का पता चला तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी।

एलजी के रोक लगाने से पहले लगातार पांचवें दिन हुई कार्रवाई, दूर तक मलबा फैला

महरौली में दर्द-डर दे गया बुलडोजर

तोड़फोड़ पर तकरार

नई दिल्ली, वरिष्ठ संवाददाता। महरौली में मंगलवार को लगातार पांचवें दिन भी दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) का बुलडोजर चला। विरोध और मिन्नतों के बाद भी आशियाने उजाड़े गए। देर शाम उपराज्यपाल के आदेश के बाद लोगों को थोड़ी राहत मिली, लेकिन बुलडोजर दर्द और डर दे गया है। लोग अभी भी घर टूटने की आशंका में हैं।

दिल्ली उच्च न्यायालय की ओर से दिए गए स्टे के बाद भी डीडीए की ओर से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई जारी रही। लाडो सराय गांव में महरौली पुरातत्व पार्क की सीमा पर स्थित कई झुग्गियों और कुछ बहुमंजिला इमारतों को ध्वस्त कर किया गया है। डीडीए के मुताबिक, सरकारी जमीन पर लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा था। मंगलवार को भूलभुलैया इलाके में तोड़फोड़ की गई है। लगभग 12 इमारतों में तोड़फोड़ और आसपास की सड़क को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। लोगों ने विरोध भी किया और हाथ जोड़कर मिन्नतें भी की, लेकिन बुलडोजर नहीं रुका।

12 दिसंबर को नोटिस चिपकाया गया : पुरातात्विक पार्क में एएसआई, दिल्ली सरकार के राज्य पुरातत्व विभाग और डीडीए के करीब 55 स्मारक आते हैं। पूर्व में 12 दिसंबर, 2022 को अतिक्रमण कर बनाए गए घरों पर एक नोटिस चिपकाया गया था और 10 दिनों के भीतर सभी अनधिकृत निर्माण को हटाने का निर्देश दिया गया था।

महरौली के भूलभुलैया इलाके में मंगलवार को तोड़फोड़ करता दिल्ली विकास प्राधिकरण का बुलडोजर। • सोनू मेहता

12 इमारतों में तोड़फोड़ और सड़क से अतिक्रमण हटाया

10 दिन में विवादित भूमि से सभी अनधिकृत निर्माण को हटाने का निर्देश दिया गया था

सूची में तीन हजार मकान

अधिकारियों ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि डीडीए की सूची में लगभग तीन हजार मकान हैं, जिन्हें तोड़ा जाना है। कोर्ट का स्टे लगभग 400 मकानों के लिए है। बाकी मकानों के खिलाफ कार्रवाई की गई।

मोहलत भी नहीं मिली

स्थानीय लोगों ने कहा कि उन्होंने एक घंटा इंतजार करने के लिए कहा था, तब तक स्थगन आदेश (स्टे नोटिस) आ जाएगा। स्टे नोटिस के लिए आवेदन किया था, लेकिन मोहलत नहीं दी गई और मकानों पर बुलडोजर चला दिया।

अदालत ने दिल्ली सरकार और डीडीए से जवाब मांगा

नई सीमांकन रिपोर्ट तैयार किए जाने तक महरौली पुरातत्व पार्क में मकानों और दुकानों को तोड़े जाने पर रोक लगाने की मांग पर उच्च न्यायालय ने मंगलवार को दिल्ली सरकार और डीडीए को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। हालांकि, न्यायालय ने तोड़फोड की कार्रवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।

16 तक यथास्थिति बनाए रखने के आदेश

उच्च न्यायालय ने डीडीए को महरौली इलाके तोड़फोड़ की कार्रवाई पर अगले आदेश तक यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। वहीं, इलाके की सीमांकन रिपोर्ट प्रभावित निवासियों को नहीं दिए जाने पर डीडीए को आड़े हाथ लिया। जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा ने मामले की अगली सुनवाई 16 फरवरी तय की है।

अधिकारियों के खिलाफ पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय गोयल धरने पर बैठेंगे

पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं लोक अभियान के अध्यक्ष विजय गोयल बुधवार को जंतर-मंतर पर महरौली में अनाधिकृत निर्माण के जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर धरना देंगे। उन्होंने कहा कि पहले तो अधिकारी अनधिकृत निर्माणों को रिश्वत लेकर बनने में सहयोग करते हैं और उसके बाद फिर जनता को उनके मकान तोड़कर रुलाते हैं। ऐसे अफसरों को बर्खास्त किया जाए।

उपराज्यपाल से मिले भाजपा नेता

अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई रुकवाने के लिए मंगलवार सुबह भाजपा नेताओं का प्रतिनिधिमंडल उपराज्यपाल से मिला। इस दौरान उन्होंने प्रभावित लोगों की समस्याओं से अवगत कराया। देर शाम कार्रवाई रुकने पर उन्होंने एलजी का आभार जताया। प्रतिनिधिमंडल में भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बैजयंत जय पांडा, दिल्ली भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष वीरेन्द्र सचदेवा और सांसद रमेश बिधूड़ी शामिल रहे।

आदेश न मानने पर दिल्ली सरकार नाराज

नई दिल्ली, प्र.सं.। दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) की ओर से महरौली में चल रही तोड़फोड़ पर दक्षिणी जिले के डीएम की भूमिका को लेकर सरकार ने नाराजगी जताई है।

राजस्व मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि आदेश के बाद भी इलाके में ना तो डीडीए को कार्रवाई रोकने के लिए सूचित किया गया और ना ही वहां सीमांकन करने के आदेश का अनुपालन किया। उन्होंने महरौली में कार्रवाई रोकने व नए सिरे से सीमांकन शुरू करने को लेकर दोबारा मंडलायुक्त व डीडीए उपाध्यक्ष को निर्देश जारी किया है।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

। नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली । बुधवार, 15 फरवरी 2023 ----DATED----

महरौली में बुलडोज़र पर ब्रेक, हाई कोर्ट ने कहा- ऐक्शन प्लान बनाएं

■ विशेष संवाददाता, नई दिल्ली

बीते पांच दिनों से दिल्ली के महरौली वासियों की नींद उड़ाने वाले डीडीए के बुलडोजर पर मंगलवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने ब्रेक लगा दिया। कोर्ट ने कहा कि संबंधित जमीन और संपत्तियों से जुड़े कई तरह के विवाद हैं। ऐसे में वहां तोड़फोड़ जारी रखने की इजाजत नहीं दी जा सकती। हाई कोर्ट ने डीडीए को निर्देश दिया कि सभी पक्षकारों के साथ बैठक करें। आम सहमति से ऐक्शन प्लान बनाएं। विवादित जमीनों का सीमांकन करें। जब तक ऐसा नहीं हो जाता, तब तक वहां तोड़फोड़ की इजाजत नहीं दी जा सकती। इसके बाद दिल्ली के उपराज्यपाल वी के सक्सेना ने डीडीए को अगले निर्देश तक महरौली में तोड़फोड़ अभियान रोकने का निर्देश जारी कर दिया। ▸▸पेज 5

■ **LG ने डीडीए को अगले आदेश तक तोड़फोड़ अभियान रोकने का आदेश दिया**

■ **पांच दिनों से चल रहा था अतिक्रमण विरोधी अभियान**

कानपुर में SDM सस्पेंड, लेखपाल अरेस्ट

सोमवार दोपहर कानपुर देहात में अतिक्रमण हटाने गई सरकारी टीम जब कब्जा हटा रही थी, तब एक घर में संदिग्ध हालत में आग लग गई। इसमें जलकर मां-बेटी की मौत हो गई। मामले में मंगलवार को लेखपाल अशोक सिंह को अरेस्ट कर लिया गया। उनका नाम हत्या की **FIR** में था। **SDM** ज्ञानेश्वर प्रसाद को सस्पेंड किया गया। प्रशासन की मशक्कत के बाद परिजन शवों का अंतिम संस्कार करने को राजी हुए। ▸▸पेज 11

तोड़फोड़ जारी रखने की नहीं दी जा सकती इजाज़त : हाई कोर्ट

डिमार्केशन रिपोर्ट कोर्ट के सामने रखने का दिया निर्देश

■ विशेष संवाददाता, नई दिल्ली

पांच दिनों से महरौली वासियों की नींद उड़ाने वाले डीडीए के बुलडोज़र पर दिल्ली हाई कोर्ट से ब्रेक लग गया। कोर्ट ने कहा कि संबंधित जमीन और संपत्तियों से जुड़े कई तरह के विवाद हैं और ऐसे में वहां तोड़फोड़ जारी रखने की इजाजत नहीं दी जा सकती।

जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा ने यह आदेश उन याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए पारित किया, जिनके जरिए लड्डा सराय गांव में महरौली पुरातत्व पार्क के पास डीडीए के तोड़फोन अभियान का विरोध जताया गया है। कोर्ट ने इलाके में यथास्थिति बनाए रखने और डीडीए को इन संपत्तियों से जुड़ी डिमार्केशन रिपोर्ट बुधवार तक कोर्ट के सामने रखने का निर्देश दिया। दिल्ली सरकार के स्थाई वकील संतोष कुमार त्रिपाठी ने बताया कि कोर्ट ने कहा कि जब तक सीमांकन का मुद्दा हल नहीं होता, तब तक तोड़फोड़ की इजाजत नहीं दी जा सकती। मंगलवार को तोड़फोड़ अभियान के खिलाफ कई मामले हाई कोर्ट की दो अलग-अलग बेंच के सामने सुनवाई के लिए आए। गोसिया स्लम बस्ती और खसरा 1151/3 में मौजूद संपत्तियों के संबंध में यथा स्थिति का आदेश हाई कोर्ट 10 फरवरी को जारी कर चुका है। महरौली के ग्रीन व्यू रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन ने उसी आदेश को आधार बनाते हुए कोर्ट से राहत देने का अनुरोध किया। संगठन ने दावा किया कि उनकी प्रॉपर्टी भी उक्त खसरे के दायरे में आती हैं।

Photos : Agencies

HC ने कहा, संबंधित जमीन और संपत्तियों पर कई विवाद हैं, इसलिए कार्रवाई जारी नहीं रख सकते

आदेश न मानने पर डीएम (साउथ) से सरकार नाराज़

स्पष्ट और लिखित आदेश देने के बावजूद महरौली में डिमोलिशन पर रोक न लगाने और नए सिरे से जमीन के सीमांकन की कार्रवाई शुरू न करने पर दिल्ली सरकार ने साउथ डिस्ट्रिक्ट की डीएम के प्रति नाराजगी जाहिर की है। राजस्व मंत्री कैलाश गहलोत ने मंगलवार को एक बार फिर उन्हें पत्र लिखकर सरकार के आदेशों से अवगत कराते हुए उन पर उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। पत्र में राजस्व मंत्री ने 11 फरवरी को उनके द्वारा जारी किए गए आदेश के बारे में बताते हुए लिखा कि लड्डा सराय गांव स्थित महरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क की जिस जमीन को लेकर विवाद है, वहां पर सरकार ने नए सिरे से डिमार्केशन कराने का निर्णय लिया था। डीएम (साउथ) को निर्देश दिया गया था कि वह तुरंत इस बारे में डीडीए को सूचित करें, ताकि कार्रवाई को रोका जा सके।

पुरातत्व पार्क के पास कार्रवाई रोकने से किया इनकार

महरौली माइनॉरिटीज रेजिडेंट एंड शॉप ओनर्स वेलफेयर एसोसिएशन की याचिका जस्टिस मिनी पुष्कर्णा की सिंगल बेंच के सामने सुनवाई के लिए आई। संगठन ने नई डिमार्केशन रिपोर्ट तैयार किए जाने तक महरौली पुरातत्व पार्क में मकानों और दुकानों को ढहाए जाने पर रोक लगाने की मांग की। इस पर कोर्ट दिल्ली सरकार और डीडीए को नोटिस जारी कर जवाब तो मांगा, पर तोड़फोड़ की कार्रवाई में दखल देने से फिलहाल इनकार कर दिया। जस्टिस पुष्कर्णा ने याचिका को चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली डिविजन बेंच के सामने रखे जाने का निर्देश दिया, क्योंकि इसी तरह का एक मामला वहां पेंडिंग है। अधिकारियों ने अतिक्रमण रोधी अभियान के तहत महरौली पुरातत्व पार्क में करीब 20 बहुमंजिला भवन, बड़ी संख्या में दुकानों और मकानों, एक निजी स्कूल बिल्डिंग की पहचान ऐसे ढांचे के रूप में की है जो अवैध रूप से बनाए गए हैं। अधिकारियों ने कोर्ट में कहा कि केवल उन ढांचों को हटाया जाएगा जो किसी वाद का हिस्सा नहीं हैं। साउथ दिल्ली के इस पार्क में जी-20 की एक प्रस्तावित बैठक से एक महीने पहले बीते शुक्रवार को यह अभियान शुरू किया गया था। डीडीए के मुताबिक, इस पुराने पार्क में करीब 55 स्मारक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, राज्य पुरातत्व विभाग और शहरी निकाय के संरक्षण के तहत हैं।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

। नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली । बुधवार, 15 फरवरी 2023 ------------------------------DATED----------------------

एक्शन के खिलाफ बीजेपी नेता लोगों के साथ पहुंचे LG के पास

■ प्रमुख संवाददाता, नई दिल्ली

करीब एक घंटे तक चली बैठक में लोगों ने एलजी के समक्ष आपबीती सुनाई

लगातार पांच दिनों से महरौली के रिहायशी मकानों पर चल रहे बुलडोजर के खिलाफ बीजेपी नेता कुछ लोगों के साथ मंगलवार को एलजी के पास पहुंचे। नेताओं ने एलजी से कार्रवाई रोकने का अनुरोध किया। करीब एक घंटे तक चली बैठक में स्थानीय लोगों ने एलजी के समक्ष आपबीती सुनाई। उनकी बातें सुनने के बाद एलजी ने कहा कि बिना प्रशासनिक प्रक्रिया पूरी किए बिना कार्रवाई नहीं होगी। उन्होंने नेताओं और लोगों को तुरंत कार्रवाई बंद कराने का आश्वासन भी दिया।

महरौली में कार्रवाई के विरोध में मंगलवार को दिल्ली बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, बीजेपी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बैजयंत जय पांडा और साउथ दिल्ली के सांसद रमेश बिधूड़ी एलजी से मिले। बीजेपी नेताओं के साथ महरौली के कुछ लोग भी साथ गए। करीब एक घंटे तक चली बैठक में बीजेपी नेताओं और लोगों ने अपनी बातें एलजी के समक्ष रखी। उन्होंने कहा कि पिछले 30-40 सालों से यहां लोग रह रहे हैं। जिस मकान में लोग रह रहे हैं, उन मकानों की उनके पास रजिस्ट्री भी है। मकानों को खरीदने के लिए बैंकों से लोन भी मिले हैं। अब राजस्व विभाग ने ही गलत नक्शे बनाए हैं, तो इसमें उनका क्या कसूर है? राजस्व विभाग द्वारा गलत नक्शे के चलते लोगों के खून-पसीने की कमाई जमींदोज हो रही है। जिंदगी भर की कमाई से खरीदे लाखों के मकान अपने ही आंखों के सामने ढहते देख कई लोगों की हालत गंभीर है। लोगों ने एलजी के समक्ष करीब एक घंटे तक अपनी समस्याएं बताईं।

लोगों की शिकायतें सुनने के बाद एलजी ने उन्हें आश्वस्त किया कि वे किसी भी अधिकृत घर को टूटने नहीं देंगे। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि बिना प्रशासनिक प्रक्रिया पूरी किए कोई कार्रवाई न हो। इसके अलावा एलजी ने तुरंत कार्रवाई बंद करने का भी आदेश अधिकारियों को दिया। बैठक के बाद सचदेवा ने कहा कि यह पूरा प्रयास किया जाएगा कि दिल्ली में किसी का घर न टूटे। इस दौरान सांसद रमेश बिधूड़ी ने कहा कि जिन लोगों के मकान टूटे हैं, उनके पुनर्वास की अब कोशिशें की जाएंगी।

तोड़फोड़ रोक दें : LG

■ **विस, नई दिल्ली** : महरौली में रह रहे सैकड़ों परिवारों को बड़ी राहत देते हुए उप-राज्यपाल वीके सक्सेना ने डीडीए को अगले निर्देश तक इस इलाके में चलाए जा रहे डिमोलिशन अभियान को रोकने का निर्देश दिया है। मंगलवार को एलजी ऑफिस पहुंचे महरौली और लड्डा सराय गांव के निवासियों के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात के बाद एलजी ने यह निर्देश जारी किया।माना जा रहा है कि एलजी के इस निर्देश के बाद इलाके में नए सिरे से जमीन का डिमार्केशन किया जा सकता है।

'दोषी अधिकारियों की पहचान और सज़ा क्यों नहीं?'

■ **एनबीटी न्यूज, महरौली** : महरौली में चल रहे अभियान से दिल्ली के अन्य क्षेत्रों के लोग भी काफी दुखी और नाराज हैं। एनबीटी सुरक्षा कवच में लोगों की तीखी प्रतिक्रिया में वे डीडीए की नीतियों में सुधार और दोषी अधिकारियों की पहचान करके उन्हें कड़ी सजा देने की मांग कर रहे हैं।

मिलकर बनाएं दिल्ली को ज्यादा सेफ

लोगों की प्रतिक्रिया

“साफ दिख रहा है कि डीडीए अधिकारियों की मिलीभगत से बिल्डरों ने बिल्डिंग बनाई और मोटी रकम लोगों से लेकर रफूचक्कर हो गए हैं। उसकी मार निम्न मध्यम वर्ग के लोग भुगत रहे हैं। सिस्टम इतना कमजोर लग रहा है कि सही में जो दोषी हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। *- वीना सिंह, खिड़की एक्सटेंशन*

“दुखी हूं कि बिल्डर सरकारी जमीन पर कब्जा करके फ्लैट बना रहे हैं और डीडीए सहित पूरा तंत्र खामोश रहता है। भ्रष्ट अधिकारी खुद को फंसता देख लोगों के घर तोड़ रहे हैं। उन बिल्डरों और अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही जो लोगों की मेहनत की कमाई से अपनी जेबें भर रहे हैं।
- वाणी अग्रवाल, छतरपुर एनक्लेव

“महरौली फॉरेस्ट एरिया में अवैध कब्जों के मामले में सबसे बड़ा दोषी डीडीए है। पुलिस भी बिल्डरों से मोटी रकम लेती है। यह खुली सच्चाई है कि लोकल बॉडी के बिल्डिंग डिपार्टमेंट की बेईमानी के बगैर कोई भी अवैध निर्माण या अतिक्रमण नहीं हो सकता है। फिर उनको सजा क्यों नहीं?
- शरद वशिष्ठ, महरौली

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

। नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली । बुधवार, 15 फरवरी 2023

DATED

बिल्डर खिसकाते गए DDA की बाउंड्री, लेकिन पहले क्यों नहीं हुई कार्रवाई?

■ राम त्रिपाठी, महरौली

रिजर्व फॉरेस्ट एरिया में अवैध निर्माण के खिलाफ डीडीए की कार्रवाई में तीन तथ्य उजागर हुए हैं। पहला, अवैध निर्माण पिछले पचास साल पहले से लेकर अब तक जारी थे। दूसरा, फॉरेस्ट एरिया में डीडीए की बाउंड्री को बिल्डर लगातार आगे खिसकाते गए। तीसरा, डीडीए ने कुछ संपत्तियों के खिलाफ कई साल पहले नोटिस जरूर जारी कर दिए, लेकिन कभी भी कोई पुख्ता कार्रवाई नहीं की।

इसका परिणाम यह हुआ कि पिछले दस-बारह सालों में वॉर्ड नं 8 (अंधेरिया मोड़) में 90 से अधिक अपार्टमेंट्स बन गए हैं। बताया जाता है कि पिछले पांच-छह साल में अवैध कब्जे करके अपार्टमेंट्स बनाने का धंधा बहुत तेजी से पनपा है। फॉरेस्ट एरिया की बाउंड्री को तोड़कर अवैध कब्जे धड़ल्ले से कर रहे हैं। वॉर्ड नं. 1 में आजादी के बाद पाकिस्तान से आए शरणार्थियों को जगह आवंटित हुई थी। वॉर्ड नं. 3 और 5 में आवंटित प्लॉट अधिक हैं। उसी दौरान वार्ड-1 में अनेक संपत्तियां बन गई थीं। वार्ड नं.1, 7 और 8 लड्डा सराय रिजर्व फॉरेस्ट एरिया में आते हैं।

डीडीए सूत्रों ने बताया कि अवैध निर्माण के खिलाफ एक्शन नहीं लेना है। मगर अपनी नौकरी भी अधिकारी को बचानी है, तो वे नोटिस जारी करने की खानापूर्ति कर देते हैं। एक्शन कभी नहीं लिया जाता। मामला बड़े स्तर पर उजागर होने पर वे बताते हैं कि नोटिस दिया जा चुका है। कार्रवाई नहीं होने का कारण वे फोर्स (पुलिस) नहीं मिलना और संबंधित कारण गिनाकर साफ बच जाते हैं। इसका फायदा अवैध निर्माण करने वाले बिल्डर उठाते हैं। रिजर्व फॉरेस्ट का मामला इसका ताजा प्रमाण है। डीडीए अधिकारी नाम नहीं छापने की शर्त पर बताते हैं कि फॉरेस्ट एरिया में कई साल पहले से एक्शन लिया जाता तो इतनी गंभीर स्थिति पैदा नहीं होती। अधिकारी मानते हैं कि बिल्डर के साथ डीडीए के संबंधित अधिकारियों की मिलीभगत के बगैर सैकड़ों अपार्टमेंट्स नहीं बन सकते थे।

अवैध निर्माण पर डीडीए की मिलीभगत पर उठ रहे सवाल

'हम पर जुल्म हो रहा है'

"मैं करीब पचास साल पहले आईआईटी से लड्डा सराय के एमसीडी स्कूल में पढ़ने आता था। यहां थोड़ा-बहुत छोड़ दें तो काफी बड़ी संख्या में पुरानी संपत्तियां ही हैं। पहले एक फ्लोर होता था। अब तीन-चार फ्लोर हैं। बस यही अंतर है। इतने साल बाद एक्शन लोगों की जिंदगी के साथ गंदा मजाक है। *- सन्नी शहजाद*

"मैं यहीं पैदा हुआ हूं। तीसरी पीढ़ी है हमारे परिवार की। पचास साल पहले रहा होगा फॉरेस्ट, जो अब नहीं है। हमारे पास रजिस्ट्री है। डीडीए अधिकारी अपनी नौकरी बचाने के लिए हम पर जुल्म कर रहे हैं। वे वॉर्ड नं.8 के फॉरेस्ट एरिया में हो रहे अवैध निर्माण को करवाने के दोषी है। खामियाजा गरीब भुगत रहा है।
- गौरव, दुकानदार

रैन बसेरे की वजह से सराय काले खां के पास अपराध बढ़ेः पुलिस

पुलिस की शिकायत पर हटेगा सराय काले खां का रैन बसेरा, मांगी फोर्स

■ **विस, नई दिल्ली :** दिल्ली पुलिस की शिकायत पर सराय काले खां बस अड्डे के पास बने डूसिब के रैन बसेरे को आज हटाने की तैयारी है। पुलिस का दावा है कि इस रैन बसेरे की स्थापना के बाद से ही सराय काले खां की रेडलाइट के आस-पास चोरी, स्नैचिंग और लूटपाट में काफी इजाफा हुआ है। कानून व्यवस्था के खतरे की भी आशंका जताई गई थी। उसी के बाद डूसिब ने इस रैन बसेरे को हटाने का फैसला किया है। मंगलवार को वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर डूसिब के एग्जिक्यूटिव इंजीनियर ने डीसीपी (साउथ-ईस्ट) को एक पत्र लिखकर बुधवार की सुबह 10:30 बजे पर्याप्त सुरक्षा बल मुहैया कराने का अनुरोध किया है, ताकि रैन बसेरे को हटाते वक्त किसी प्रकार का कानूनी व्यवधान पैदा ना हो। रैन बसेरे की क्षमता 54 लोगों की है, लेकिन इससे कहीं ज्यादा संख्या में लोग इसमें रहते हैं।

कानून व्यवस्था के खतरे की भी पुलिस ने जताई थी आशंका

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, पिछले हफ्ते डीसीपी (साउथ-ईस्ट) ने डूसिब की सीईओ को एक पत्र लिखकर बताया था कि सनलाइट कॉलोनी थाने के एसएचओ के द्वारा किए गए एक ऑन ग्राउंड वेरिफिकेशन में सराय काले खां स्थित रैन बसेरे के संचालन में कई गंभीर खामियां पाई गई हैं। 2014 में डीडीए की जमीन पर बनाए गए इस रैन बसेरे में अपराधियों का जमावड़ा रहने लगा है। कई घोषित बदमाश यहां पनाह लेने लगे हैं। इसका संचालन कर रहे एनजीओ के लोग न तो दस्तावेजों का ठीक से वेरिफिकेशन करते हैं और ना ही जांच या पूछताछ करते हैं। ऐसे में कई लोग फर्जी दस्तावेज देकर भी यहां रुक जाते हैं। यहां रह रहे लोगों को अब कहां शिफ्ट किया जाएगा और लोगों के रहने के लिए अब यहां क्या वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी, इस बारे में डूसिब के अधिकारी अभी कुछ भी बोलने से बच रहे हैं।

पांचवें दिन भी चला बुलडोज़र का पंजा, लोग रोते रहे...

जिनके घर टूटे, उनके मायूस चेहरों और नम आंखों में हैं कई सवाल

■ एनबीटी न्यूज, महरौली

लड्डा सराय के रिजर्व फॉरेस्ट एरिया में बनी संपत्तियों के खिलाफ डीडीए की कार्रवाई मंगलवार को भी जारी रही। डीडीए रिकॉर्ड में अवैध संपत्तियों को ढहाने के लिए 4 जेसीबी मशीनें और प्राइवेट मजदूरों ने ग्राउंड फ्लोर से लेकर तीन मंजिला बने आधा दर्जन मकान और पांच दुकानों को ढहा दिया है। कार्रवाई की चपेट में वॉर्ड नं. 1 के साथ पहली बार वॉर्ड नं. 7 की संपत्तियां भी आ गई हैं। इस दौरान पुलिस को पहली बार प्रभावित लोगों के कड़े विरोध का सामना नहीं करना पड़ा। कार्रवाई दोपहर 12:30 बजे के बाद ही शुरू हो पाई थी। इसका कारण कोर्ट से मिले स्टे को बताया जाता है। कार्रवाई के लिए पुलिस का दस्ता मंगलवार को भी भूल भुलैया की तरफ पहुंचा जहां सोमवार को तोड़फोड़ की गई थी। बताया जाता है कि तोड़ी गई संपत्तियों के बगल में स्थित दो संपत्ति के मालिक कोर्ट से स्टे ले आए थे। विवादों से बचने के लिए डीडीए का दस्ता थोड़ा शांत रहा। दोपहर करीब एक बजे वॉर्ड नं. 1 के गुरुद्वारे के बगल में बनी 5 दुकानों को तोड़ दिया। दुकानों के सामने स्थित एक मंजिला और 3 मंजिला तीन मकानों को ढहा दिया। इसी दौरान दो जेसीबी मशीनों ने वॉर्ड नं. 7 स्थित पोस्ट ऑफिस वाली गली में बने डेढ़ मंजिला तीन मकानों को तोड़ दिया।

मायूस चेहरों और नम आंखों में एमसीडी का समुदाय भवन और डाकघर की बिल्डिंग को लेकर गुस्सा भर आता है। लोग कहते हैं, 'ये भी तो जंगल की जमीन पर बने हैं। इन सरकारी बिल्डिंग के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है?

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

THE TIMES OF INDIA, NEW DELHI
WEDNESDAY, FEBRUARY 15, 2023

LG asks DDA to halt Mehrauli demolition drive

LG V K Saxena on Tuesday ordered DDA to stop its demolition drive at Mehrauli and Ladha Sarai village till further instructions, after a delegation of residents from the affected areas called upon Saxena at Raj Niwas and "cited anomalies in land demarcation". **P5**

▶**HC orders status quo till February 16, P 5**

Bulldozers Retreat, But Uncertainty Lingers

LG Tells DDA To Put Drive On Hold Till Further Instructions

Sanjeev Rastogi

DREAMS MAKE A CRASH LANDING

TIMES NEWS NETWORK

New Delhi: Lieutenant governor Vinai Kumar Saxena on Tuesday ordered Delhi Development Authority (DDA) to stop its demolition drive at Mehrauli and adjacent Ladha Sarai village till further instructions.

"The decision was taken after a delegation of residents from the villages called upon Saxena at Raj Niwas to seek relief, citing anomalies in the demarcation of land in the areas that was carried out by Aam Aadmi Party (AAP) government in 2021," said a statement issued by the LG office.

SOMNATH BHARTI SAYS

What has happened today is the victory of AAP and the people of Delhi. BJP has realised that the LG is making it unpopular with every passing day

Saxena, who is also the DDA chairman, directed the body's vice-chairman, DDA and the local administration to "immediately" stop the demolition drive and assured the residents that their grievances would be looked into and the anomalies pointed out by them examined.

The LG also reassured the residents that no injustice will be done to any rightful owner of the land. "He said the residents' complaints will be thoroughly examined and if any misdeed on part of any official was found, strict action will be taken against the erring officials," the Raj Niwas statement added.

The development triggered yet another war of words between BJP and AAP. BJP's Delhi in-charge Baijayant Jay Panda said that AAP had "backstabbed" the common people of Mehrauli by "wrongly demarcating homes which had been officially registered for half a century". BJP, on the other hand, had stood by the residents and supported them, he added.

AAP MLA Saurbah Bhardwaj countered the charge, arguing, "What stops the LG from dismissing all officers of revenue and DDA who were involved in this demolition?"

Party MLA Somnath Bharti said, "What has happened today is the victory of AAP and the people of Delhi. BJP has realised that the LG is making it unpopular with every passing day."

Meanwhile, revenue minister Kailash Gahlot pulled up the district magistrate (south) for not complying with his earlier order on Mehrauli, in which he had asked that a fresh demarcation exercise in the area be carried out.

DDA had earlier submitted that the demolition would be carried out only as per the demarcation report prepared in 2021 and only encroachers would be removed.

In an official note, Gehlot said, "I am informed that none of the above directions has been complied with. In the face of large-scale demolition by DDA, such non-compliance with regard to the demarcation exercise, which is the basis for carrying out demolition activities, makes the DM (south) complicit in the whole affair."

He has again asked the DM to comply with the orders.

HC orders status quo on DDA action till February 16

TIMES NEWS NETWORK

New Delhi: Delhi High Court on Tuesday ordered status quo till February 16 on DDA's demolition drive in Mehrauli.

Hearing a bunch of 15 petitions, the single-judge bench of Justice Manmeet Pritam Singh Arora directed DDA to file a demarcation report on the properties by noon on Wednesday.

The bench also granted an opportunity to the resident petitioners and their counsels to meet the deputy director of land management at DDA's office at 3.30pm Wednesday for verification of their title deeds.

On Friday, HC had ordered status quo on the DDA action of demolishing a slum cluster in Mehrauli till February 14 after counsel for the petitioner said the slum was on a list published by Delhi Urban Shelter Improvement Board (DUSIB) in 2018, recording existence of 400 jhuggis in the cluster. It was submitted that the land-owning agency was obliged to rehabilitate the residents prior to their eviction.

The bench also extended till February 17 status quo on the demolition drive at the Gosiya slum colony after DUSIB submitted that the slum is in its list of jhuggi clusters and eligible for rehabilitation. The court sought DDA's response after its counsel said that since the slums were demolished in 2012, they are not eligible for rehabilitation.

HC stays demolition of slum cluster near Pragati Maidan

Delhi High Court on Tuesday stayed the demolition of a slum in the vicinity of Pragati Maidan by Public Works Department and sought a report from the Centre and Delhi government authorities on the issue. Justice Prathiba M Singh said PWD, Delhi Urban Shelter Improvement Board and Railways were "speaking in different voices" and directed that a meeting be held to arrive at a consensus. PTI

Meanwhile, another single-judge bench of Justice Mini Pushkarna on Tuesday issued notice on a plea seeking directions to restrain DDA from carrying out its demolition drive near Mehrauli Archaeological Park till a fresh demarcation of the area is conducted. The bench also directed that related matters be listed before the bench of Delhi HC Chief Justice Satish Chandra Sharma.

"Considering the submissions made and the fact that a similar issue is already being considered by a division bench of this court, it is deemed expedient to place the matter before the division bench," said the bench.

The court was hearing a plea moved by Mehrauli Minorities Residential and Shop Owners Welfare Association, a registered society, for directions to carry out a joint demarcation in the area.

DDA has been carrying out a demolition drive near Mehrauli Archaeological Park in Ladha Sarai village. According to the petitioner, the area has various slums, many mosques and dargahs which are waqf properties. The counsel appearing for the petitioner society said DDA had suddenly started the demolition drive in the area without consulting DUSIB.

The counsel apprised the court about a February 11 order passed by Delhi government's minister of revenue directing fresh demarcation of the area. He added that the SDM was yet to carry it out and that DDA was carrying out the demolition on the basis of a 2021 demarcation.

Ground zero: Amid debris, prayers, tears & anger

Photos: Sanjeev Rastogi

Abhinav.Rajput
@timesgroup.com

New Delhi: As the bulldozers retreated from Mehrauli following the Delhi High Court order and the lieutenant governor's direction to cease the demolition drive for the time being, the angst-ridden residents were relieved but still wary of what the future holds for their homes.

On Tuesday, the fifth day of DDA's effort to crack down on constructions on what the agency says is a green belt that is part of the Mehrauli Archaeological Park, there were people who heaved a sigh of relief when the LG ordered a cessation following Delhi High Court ordering a status quo about the properties near the historic area till February 16. Though four or five houses were brought down on Tuesday, Amina was one of those whose immediate fears had been allayed. "We are relieved as of now, but we are sure yet of the bulldozers not coming back," said Amina.

The news of the bulldozer leaving the locality around 5pm spread like wildfire. Amit Chaudhry, a resident of Pearl Apartments, which had got a court stay order on demolitions, said, "This is a respite for us. But we are prepared for a long battle. We will present our views to the authorities and the courts and hope that people will not lose their homes."

While Amina was lucky, those whose houses were demolished on Saturday and Monday could be seen mourning on the roads. The residents of the neighbouring Green Apartments gathered on the ground floor and conducted a daylong chanting of the Hanuman Chalisa to save their flats. The lane alone has 10 residential complexes, each with five floors of 15-20 flats.

"We are suffering due to the mistakes of the bureaucrats. Our properties do not lie in the forest area," insisted Jyoti Dangwal, who owns a flat in Green Apartments. "The residents are living in trepidation of the bulldozers and there should be a permanent solution to the issue."

Raj Kunwar Singh, who lives in Lakshmi Sagar Apartments and has the assurance of a court stay against demolition, said, "There would be fresh demarcation of forest land. The revenue department must also clarify that the plots are not part of the archaeological park. There is a clear line behind that separates the forest area from the residential area."

According to DDA, a total station survey was carried out in 2021 and areas belonging to the Mehrauli Archaeological Park demarcated. DDA claims that demolition would only target encroachers as per the demarcation report of 2021.

Aman has lived with his sister and brother in the area for over two decades after his parents died. "What more do we have other than our home?" he asked. "It is difficult to sleep when the mind is burdened by the thought that the house will be razed down."

Meanwhile, the LG's office said, "Having heard the grievances of the residents, the LG assured the residents that no injustice will be done to any rightful owner of land." The residents' complaints would be examined and if any misdeed on part of any official was discovered, action would be taken against them.

DDA'S ARGUMENT
Says it plans to clear 20 acres in Mehrauli, which was part of Mehrauli Archaeological Park and illegally occupied. According to the agency, a 'total station survey' was carried out on August 13, 2021, to demarcate the area for the park. It says demolition will be conducted according to the demarcation report and only encroachers will be removed

RESIDENTS' CONCERN
Houses and flats have been registered by Delhi government, electricity connections have been given and MCD taxes also paid. These prove that our homes are legal units, they say. Residents demand action against DDA, Delhi government staff and police as the constructions took place under their nose

COURT'S STAND EARLIER
After Indian National Trust for Art and Cultural Heritage (INTACH) moved a petition in July 2019, HC directed that the entire area under the park be freed from encroachment. The court also cautioned that no construction activity shall be allowed in the area without its permission and **every violation would be 'viewed strictly'**

COURT'S ORDER ON TUESDAY HC ordered **'status quo' on DDA action of demolishing various properties** near Mehrauli Archaeological Park till February 16. The order was passed while hearing a bunch of pleas against the drive. The court also directed DDA to file a demarcation report on the properties by tomorrow

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS- पंजाब केसरी DELHI ---- DATED ▶ 15 फरवरी, 2023 ▶ बुधवार

हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार और डीडीए से मांगा जवाब

महरौली में अब नहीं चलेगा बुलडोजर...

नई दिल्ली, (पंजाब केसरी): दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली के मुख्य सचिव को निर्देश दिया है कि वह संबंधित पक्षों के साथ मिलकर बैठकर करें और एक मत से फैसला लें। हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक डिमार्केशन प्लॉन करने और उसके बाद ही तोड़फोड़ की कार्रवाई पर विचार करने को कहा है। हाईकोर्ट ने महरौली स्थित कर घोसिया स्लम कॉलोनी करीब 400 से अधिक झुग्गियों की ओर से घोसिया सेवा समिति की याचिका पर सुनवाई के दौरान यह निर्देश जारी किया है। जस्टिस मनमीत प्रीतम अरोड़ा ने कहा है कि इस बस्ती को खाली कराने से पहले वहां रहने वालों के पुनर्वास के बारे में फैसला लेने का निर्देश दिया जाता है।

जेसीबी से तोड़ते पक्के निर्माण।

वहीं हाईकोर्ट की जस्टिस मिनी पुष्कर्णा की बेंच ने एक नई सीमांकन रिपोर्ट तैयार किए जाने तक शहर के दक्षिणी हिस्से में स्थित महरौली पुरातत्व पार्क में मकानों और दुकानों को ढ़हाए जाने पर रोक लगाने की मांग करने वाली याचिका पर दिल्ली सरकार और दिल्ली विकास प्राधिकरण(डीडीए) से जवाब मांगा है। जस्टिस ने फिलहाल तोड़फोड़ की कार्रवाई में हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए महरौली माइनॉरीटीज रेजीडेंट एंड शॉप ऑनर्स वेलफेयर की याचिका पर नोटिस जारी किया। साथ ही, उन्होंने निर्देश दिया कि विषय को चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली बेंच के समक्ष रखा जाए, जहां इसी तरह का एक विषय पहले से लंबित है।

बेंच ने अपने आदेश में कहा कि नोटिस जारी किया जाए। खंडपीठ-1 के समक्ष इसी तरह के मुद्दे लंबित रहने की दलीलों और तथ्यों पर विचार करते हुए यह विषय इसी खंडपीठ के समक्ष रखा जाए। इसे खंडपीठ-1 के समक्ष सूचीबद्ध किया जाए, जो 17 फरवरी को चीफ जस्टिस के आदेश पर निर्भर करेगा। गौरतलब है कि अधिकारियों ने अतिक्रमण रोधी अभियान के तहत महरौली पुरातत्व पार्क में करीब 20 बहुमंजिला भवन, बड़ी संख्या में दुकानों और मकान तथा एक निजी स्कूल भवन की पहचान ऐसे ढांचे के रूप में की है जो पिछले कुछ दशकों में अवैध निर्मित किए गए हैं। अधिकारियों ने ढांचों को ढहाए जाने पर रोक लगाने के लिए कुछ पक्षकारों द्वारा हाईकोर्ट का रुख किए जाने के बाद कहा कि केवल उन ढांचों को हटाया जाएगा जो किसी वाद का हिस्सा नहीं हैं। दक्षिण दिल्ली के इस पार्क में जी20 की एक प्रस्तावित बैठक से एक महीने पहले बीते शुक्रवार को यह अभियान शुरू किया गया था। इस पुराने पार्क में करीब 55 स्मारक एएसआई व निकाय के संरक्षण के तहत हैं।

महरौली तोड़फोड़ मामले में की डीएम साउथ की खिंचाई

नई दिल्ली, (पंजाब केसरी): दिल्ली सरकार ने महरौली डेमोलेशन ड्राइव को रोक पाने में असफल रहने पर जिलाधिकारी (दक्षिण) की खिंचाई की है और उन्हें फिर से क्षेत्र में नए सिरे से सीमांकन करने का निर्देश दिया है। राजस्व मंत्री कैलाश गहलोत ने मंगलवार को इस बारे में फिर से लिखित आदेश जारी किया। इससे पहले पिछले सप्ताह भी मंत्री ने डीएम को विवादित क्षेत्र का नए सिरे से सीमांकन करने का निर्देश दिया था, क्योंकि प्रभावित निवासियों ने आरोप लगाया था कि उन्हें अंधेरे में रखकर सीमांकन किया गया था।

गहलोत द्वारा मंगलवार को जारी एक आदेश में आरोप लगाया गया कि डीएम (दक्षिण) ने न तो नए सिरे से सीमांकन के निर्देश का पालन किया और न ही दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) को डेमोलेशन ड्राइव रोकने के लिए कहा। गहलोत ने आदेश की कॉपी डीडीए के वाइस चेयरमैन सुभाशीष पांडा को भी यह कहते हुए भेजी है कि महरौली में बिना सीमांकन के डेमोलेशन ड्राइव नहीं चलाया जा सकती है। आदेश में राजस्व मंत्री ने कहा गया है कि डीडीए द्वारा बड़े पैमाने पर तोड़फोड़ के मद्देनजर सीमांकन के संबंध में डीएम (दक्षिण) ने इस मामले में निष्क्रियता दिखाने हुए पूरे मामले को जटिल बना दिया है। इसलिए डीएम (दक्षिण) को एक बार फिर निर्देश दिया गया है कि वे तत्काल प्रभाव से नए सिरे से सीमांकन अभ्यास शुरू करने के निर्देशों का पालन करें।

पांचवें दिन करीब 12 मकान ध्वस्त

तोड़फोड़ के दौरान मौजूद पुलिसकर्मी।

नई दिल्ली, (पंजाब केसरी) : दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) की टीम ने लगातार पांचवें दिन स्थानिय लोगों के विरोध के बावजूद महरौली में अवैध मकानों पर कार्रवाई की। टीम ने मंगलवार को महरौली के भूल भुलैया इलाके में मकानों की तोड़फोड़ की है। बताया जा रहा है कि जिन लोगों के मकान पर स्टे नहीं मिला है, डीडीए उन्हीं मकानों पर कार्रवाई कर रही है। कार्रवाई का विरोध कर रहे स्थानीय लोगों का कहना है कि यह जमीन उन्हें अलॉट की गई थी और अचानक यह जमीन अवैध कैसे हो गई। वह पिछले कई सालों से यहां पर रह रहे हैं लेकिन अब डीडीए के लोग हमारे घरों को अवैध बताकर तोड़ रहे हैं, जबकि हमारी पूरी जमा पूंजी इन्हीं मकानों में लगी हुई है। हमारी बातों को कोई सुनने को तैयार नहीं है। मंगलवार सुबह 10 बजे से ही यहां डीडीए की कार्रवाई शुरू हो गई। करीब 12 इमारतों में तोड़फोड़ और आस-पास की सड़क को अतिक्रमण मुक्त कराया गया है। डीडीए अधिकारी ने बताया कि महरौली में कई जगहों पर अतिक्रमण है और कोर्ट के निर्देश पर ही कार्रवाई की जा रही है। महरौली में करीब 3 हजार मकानों के खिलाफ कार्रवाई होनी है। कोर्ट की ओर से जो स्टे मिला है वह लगभग 400 मकानों के लिए है। ऐसे में बाकी मकानों के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है। यह पूरी कार्रवाई भी कोर्ट के दिशा-निर्देश पर हो रही है। डीडीए की कार्रवाई पर स्थानीय लोगों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। कहा कि हमने उन्हें एक घंटे इंतजार करने के लिए कहा, तब तक स्थगन आदेश (स्टे नोटिस) आ जाएगा। लेकिन वह इंतजार करने के लिए तैयार नहीं है। यह गुंडागर्दी है।

महरौली और लाडो सराय गांव में अब नहीं होगी तोड़फोड़...

नई दिल्ली, (पंजाब केसरी): एलजी वीके सक्सेना ने महरौली और लाडो सराय के सैकड़ों परिवारों को बड़ी राहत दी है। इन गांवों में अब डेमोलेशन नहीं होगा। एलजी वीके सक्सेना ने महरौली और लाडो सराय गांवों में चल रही डेमोलेशन ड्राइव को डीडीए को अगले निर्देश तक रोकने के निर्देश दिये हैं। इस संबंध में गांवों के निवासियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने मंगलवार को एलजी से मुलाकात की थी। इस दौरान लोगों ने इन क्षेत्रों में 2021 में केजरीवाल सरकार द्वारा भूमि के सीमांकन में विसंगतियों का हवाला देते हुए डेमोलेशन ड्राइव रोकने की मांग की थी। एलजी ने प्रतिनिधिमंडल की बात सुनकर डीडीए के वीसी और स्थानीय प्रशासन को तुरंत डेमोलेशन ड्राइव रोकने का निर्देश दिया और निवासियों को आश्वासन दिया कि उनकी शिकायतों पर गौर किया जाएगा और उनके द्वारा बताई गई विसंगतियों की विस्तार से जांच की जाएगी। एलजी ने ग्रामीणों की शिकायतों को विस्तार से सुनने के बाद उन्हें आश्वासन दिया कि जमीन के किसी भी सही मालिक के साथ कोई अन्याय नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि निवासियों की शिकायतों की पूरी तरह से जांच की जाएगी और यदि किसी अधिकारी की ओर से कोई गलत काम पाया जाता है, तो दोषी अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि एलजी ने दोहराया कि कानूनी और सही मालिकों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।

भाजपा नेताओं संग महरौली तोड़फोड़ प्रभावित नागरिकों का प्रतिनिधिमंडल एलजी से मिला

नई दिल्ली, (पंजाब केसरी): भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बैजयंत जय पांडा, प्रदेश भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष वीरेन्द्र सचदेवा एवं सांसद रमेश बिधूड़ी के साथ मंगलवार को दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्देश पर महरौली में गत सप्ताह से चल रहे तोड़फोड़ से प्रभावित नागरिकों का प्रतिनिधिमंडल दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना से मिला और उन्हें अपनी समस्याओं से अवगत करा कर तोड़फोड़ रोकने का अनुरोध किया। भाजपा नेताओं एवं महरौली के प्रभावित नागरिकों के

प्रतिनिधियों ने एलजी को बताया कि ज्यादातर लोग वहां 3 से 4 दशक से बसे हुए हैं और उनके पास मकानों के पंजीकरण तो हैं ही, साथ ही उन्हें खरीदने के लिए उन्हे बैंक लोन भी मिला है। उन्होने बताया कि दिल्ली सरकार के राजस्व विभाग की लापरवाही के चलते इन लोगों के घरों पर संकट मंडरा रहा है। लगभग एक घंटे तक चली बैठक के बाद एलजी ने आश्वस्त किया कि वह किसी भी अधिकृत घर को टूटने नहीं देंगे और वह यह सुनिश्चित करेंगे कि बिना प्रशासनिक प्रक्रिया पूरी किए कोई कार्रवाई न हो। साथ ही तोड़फोड़ की कार्रवाई तुरंत रुकवाने का भी आश्वासन दिया। बैठक के बाद एलजी निवास के बाहर बैजयंत जय पांडा, वीरेन्द्र सचदेवा एवं रमेश बिधूड़ी ने पत्रकारों को सम्बोधित किया। बैजयंत जय पांडा ने कहा कि एलजी ने तुरंत प्रभाव से डिमोलिशन रुकवाने का आश्वासन देकर बड़ी राहत दी है। वीरेन्द्र सचदेवा ने कहा कि हमारा पूरा प्रयास है कि किसी का घर न टूटे। रमेश बिधूड़ी ने कहा है कि जिन लोगों के मकान टूटे हैं, हम पुनर्वास के लिए काम करेंगे।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

THE HINDU Wednesday, February 15, 2023 -------------------------------DATED--- अमर उजाला

IN BRIEF

L-G asks DDA to halt demolition drive in Mehrauli

NEW DELHI

Delhi Lieutenant-Governor V.K. Saxena on Tuesday directed the DDA to stop the demolition drive in Mehrauli until further instructions, officials at Raj Niwas said. » Page 2

महरौली में तोड़फोड़ पर एलजी ने लगाई रोक

आश्वासन : कानूनी और सही कब्जाधारकों पर नहीं होगी कार्रवाई

नई दिल्ली। उपराज्यपाल ने मंगलवार शाम को महरौली और लाडो सराय के गांवों में सैकड़ों परिवारों को बड़ी राहत दी है। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने ग्रामीणों की शिकायत सुनने के बाद दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) को अगले निर्देश तक तोड़फोड़ अभियान पर तत्काल रोक लगाने को कहा है। ग्रामीणों ने भूमि के सीमांकन में विसंगतियों का हवाला देते हुए राहत की मांग की थी।

नई दिल्ली स्थित महरौली में मंगलवार को मकान ढहाता बुलडोजर। एजेंसी

उपराज्यपाल कार्यालय के अनुसार, एलजी ने आश्वस्त किया है कि जमीन के सही मालिक के साथ कोई अन्याय नहीं किया जाएगा। निवासियों की शिकायतों की पूरी तरह से जांच की जाएगी और यदि किसी अधिकारी की ओर से कोई गलत काम पाया जाता है, तो कड़ी कार्रवाई होगी। उपराज्यपाल ने दोहराया कि कानूनी और सही कब्जा करने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। हाईकोर्ट के आदेशों के अनुसार, अतिक्रमण या अनधिकृत कब्जे को तुरंत हटा दिया जाएगा। ब्यूरो

पांचवें दिन छह मकानों पर चला बुलडोजर

डीडीए ने महरौली में लगातार पांचवें दिन मंगलवार को भी करीब छह मकानों पर बुलडोजर चलाया। इस दौरान लोगों ने डीडीए की कार्रवाई का विरोध किया।

- प्रभावितों ने डीडीए की कार्रवाई को गलत ठहराते हुए अपने मकानों के कागजात दिखाए। हालांकि, दिल्ली पुलिस के समक्ष उनकी एक नहीं चली।

हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार और डीडीए से मांगा जवाब

हाईकोर्ट ने तोड़फोड़ पर रोक की मांग संबंधी याचिका पर दिल्ली सरकार और डीडीए को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति मिनी पुष्कर्णा ने याचिका पर नोटिस जारी किया है। >> पेज 2

L-G halts anti-encroachment drive in Mehrauli after 5 days of demolitions

AAP 'back-stabbed' residents by wrongly demarcating homes, says BJP; dare Saxena to take action against officials: Bharadwaj

The Hindu Bureau
NEW DELHI

Delhi Lieutenant-Governor V.K. Saxena on Tuesday directed the Delhi Development Authority (DDA) to stop the demolition drive in Mehrauli until further instructions, officials at Raj Niwas said.

Officials said the decision was taken after a delegation of residents from the affected areas called on the L-G to seek relief. The delegation, which included senior BJP leaders, cited "anomalies" in the demarcation of land by the Delhi government, officials added.

The DDA carrying out a demolition drive in Mehrauli amid heavy police presence on Tuesday. R.V. MOORTHY

The DDA started an 'anti-encroachment drive' in Mehrauli Archaeological Park on February 10. The demolitions, carried out amid heavy police presence, have drawn sharp reactions from the residents. "The L-G directed the DDA Vice-Chairman and the local administration to stop the demolition drive immediately and assured the residents that their grievances would be looked into and the anomalies, pointed out by them, would be examined," said an L-G House official. "Strict action will be taken against the errant officials," the official added.

According to the officials, Mr. Saxena reiterated that no action would be taken against those living in the area legally, but the encroachments near the heritage monuments would be removed.

The BJP leaders, including Delhi unit in-charge Baijayant Jay Panda, told the L-G that many houses were in danger of being demolished due to incorrect maps prepared by the Delhi government's Revenue Department. Mr. Panda subsequently charged AAP with "back-stabbing" Mehrauli's residents by "wrongly demarcating homes which had been officially registered for half a century".

In response, AAP's chief spokesperson Saurabh Bharadwaj tweeted that if the BJP and the L-G have been back-stabbed by AAP, "What stops your L-G from dismissing all officers of Revenue [Department] and DDA who were involved in this demolition. Challenge accepted?"

Court seeks response

Meanwhile, a Delhi High Court Bench sought responses from the Delhi government and the DDA on a plea seeking a stay on the demolition drive in Mehrauli Archaeological Park, while another High Court Bench ordered the authorities to maintain the "status quo" till February 16.

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

millenniumpost
NEW DELHI | WEDNESDAY, 15 FEBRUARY, 2023

DATED

MEHRAULI DEMOLITION: HC ORDERS STATUS QUO TILL FEBRUARY 16

Govt pulls up DM (south) for 'inaction'

OUR CORRESPONDENT

NEW DELHI: The Delhi government has pulled up the district magistrate (south) for alleged "inaction" related to the Mehrauli demolition drive and directed him again to carry out fresh demarcation in the area, officials said on Tuesday.

Revenue Minister Kailash Gahlot had directed the DM (south) last week to carry out fresh demarcation of "disputed" area after the affected residents alleged that the demarcation exercise was done keeping them in the dark.

In an order issued by Gahlot on Tuesday, it was alleged that DM (south) neither complied with the direction for fresh demarcation nor asked the Delhi Development Authority (DDA) to stop the ongoing demolition exercise.

The copy of the order has been sent to DDA vice chairman Subhasish Panda reiterating that the demolition drive cannot be carried out without demarcation.

"In the face of large scale demolition by DDA, such non-compliance by DM (South) with regard to demarcation exercise which is the basis for carrying out demolition activities, makes DM (south) complicit in the whole affair," said the order of the revenue minister.

The DM (south) has been once again directed to comply with the directions to start fresh demarcation exercise with immediate effect, it added.

Meanwhile, the Delhi High Court directed the authorities to maintain status quo till February 16 on various properties in the Mehrauli Archaeological Park area in the national Capital which have been identified to be demolished as part of an anti-encroachment drive.

The high court also asked the Delhi Development Authority (DDA) to state its stand on a batch of petitions challenging the demolition action and seeking a bar on demolition in the Mehrauli Archaeological Park area in south Delhi till a fresh "demarcation report" has been prepared.

A large number of petitions on the issue were listed for hearing before two different judges Justice Mini Pushkarna and Justice Manmeet Pritam Singh Arora.

Nearly 20 multi-storey buildings, a large number of shops and houses and a private school building are among the structures constructed "illegally" over the last few decades in the Mehrauli Archaeological Park, which the authorities have identified as part of the anti-encroachment drive.

Without interfering with the demolition exercise at this stage, Justice Pushkarna issued notice to the Delhi government and DDA on the petition by Mehrauli Minorities Resident And Shop Owners Welfare and directed that the matter be placed before the division bench headed by the Chief Justice, where a similar matter is already pending.

The drive, which began on February 10, comes a month ahead of a proposed G20 meeting at the park in south Delhi. According to the DDA, the old park has about 55 monuments under the protection of the Archaeological Survey of India, state archeological department and the urban civic body.

The petitioner, who was raising the issue of demarcation report, submitted that Mehrauli has many slum clusters and several waqf properties, including mosques and dargahs, were located there.

He alleged the revenue minister of the Delhi government said on February 11 that a fresh "demarcation report" should be prepared as the present report has "certain objections" and, in the meantime, no demolition exercise should be carried out.

The DDA counsel said it is the land owning agency in the present case and the demolition exercise is in terms of the order passed by a division bench of the high court in December last year for removal of encroachments.

The lawyer contended the demarcation report is of the year 2021 and the minister cannot sit in review over it.

In the batch of pleas before Justice Arora, the court also directed the petitioners and their lawyers to meet DDA's Deputy Director of Land Management at his office tomorrow at 3.30 PM to present their claims on respective land parcels.

It asked the DDA to file a demarcation report with respect to the subject properties by Wednesday afternoon.

Advocate Kamlesh Kumar Mishra, representing the residents of Green Apartments in Mehrauli, said there are 62 families residing in 62 flats and the entire action of the DDA is illegal because the authorities are going ahead with the drive without giving any opportunity to the residents to be heard.

Closer Look

- Revenue Minister Kailash Gahlot had directed the DM (south) last week to carry out fresh demarcation of 'disputed' area after the affected residents alleged that the demarcation exercise was done keeping them in the dark
- In an order issued by Gahlot on Tuesday, it was alleged that DM (south) neither complied with the direction for fresh demarcation nor asked the Delhi Development Authority (DDA) to stop the ongoing demolition exercise
- The copy of the order has been sent to DDA vice chairman Subhasish Panda reiterating that the demolition drive cannot be carried out without demarcation
- High Court directed the authorities to maintain status quo till Feb 16 on various properties in the Mehrauli Archaeological Park area in the national capital which have been identified to be demolished as part of an anti-encroachment drive

L-G to DDA: Stop demolition drive till further instructions

SATVIKA MAHAJAN

NEW DELHI: Continuing the anti-illegal construction drive in Mehrauli on Tuesday, DDA bulldozed several structures in the area. However, in the backdrop of the demolition drive, a BJP delegation met with Delhi L-G V K Saxena and requested him to stop the demolition drive.

The L-G has directed the DDA to stall the ongoing demolition drive in these villages, till further instructions, as per officials from the Raj Niwas, the decision came after a delegation of residents of these villages met the L-G and sought relief from the demolition drive while citing the anomalies in the demarcation of land in these areas, that was carried out by the AAP government in 2021.

He said the residents' complaints will be thoroughly examined and if any misdeed on part of any official was found, strict action will be taken against the erring officials.

The L-G however reiterated that, while no action will be taken against legal and rightful occupants, any illegal encroachment or unauthorised occupation surrounding the heritage monuments will be removed forthwith, in pursuance of the orders of the High Court.

BJP national vice president Baijayant Jai Panda said that the L-G has given great relief by assuring to stop the demolition with immediate effect and it is regrettable that many houses have been demolished due to the negligence of the Revenue Department of Delhi government.

AAP MLA Saurabh Bhardwaj responded to BJP's allegations and said, "If BJP & L-G saab is backstabbed by AAP, what stops ur L-G saab to dismiss all officers of Revenue & DDA who were involved in this demolition. Challenge accepted?"

DDA officials are yet to comment on the matter.

Highlights

- BJP delegation met with Delhi L-G V K Saxena and requested him to stop the demolition drive
- 'Residents' complaints will be thoroughly examined and if any misdeed on part of any official was found, strict action will be taken against the erring officials'
- DDA officials are yet to comment on the matter

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

the pioneer -----DATED-----
NEW DELHI | WEDNESDAY | FEBRUARY 15, 2023

LG stops DDA's demolition drive

'Relief only for legal occupants of Lado Sarai, Mehrauli villages'

STAFF REPORTER ■ NEW DELHI

In a big relief to hundreds of families in Mehrauli and Lado Sarai villages, Lt Governor (LG) VK Saxena on Tuesday directed the Delhi Development Authority (DDA) to stall the ongoing demolition drive in these villages, till further instructions. The decision came after a delegation of residents met Saxena and sought relief while citing the anomalies in the demarcation of land in these areas done in 2021.

According to officials, the L-G directed the Vice Chairman, DDA and the local administration to immediately stop the demolition drive. "The LG assured the residents that their complaints will be examined and if any misdeed on part of any official was found, strict action will be taken against them. He however reiterated that, while no action will be taken against legal and rightful occupants, any illegal encroachment or unauthorised occupation surrounding the heritage monuments will be removed forthwith, in pursuance of the orders of the High Court," said officials.

Amid the drive, the Delhi Government has pulled up the District Magistrate (DM south) for alleged "inaction" related to the Mehrauli demolition drive and directed him again to carry out fresh demarcation in the area. Revenue Minister Kailash Gahlot had directed the DM (south) last week to carry out fresh demarcation of "disputed" area after the affected residents alleged that the demarcation exercise was done keeping them in the dark. In an order issued by Gahlot on Tuesday, it was alleged that DM (south) neither complied with the direction for fresh demarcation nor asked the DDA to stop the ongoing demolition exercise.

The copy of the order has been sent to DDA vice chairman Subhasish Panda reiterating that the demolition cannot be carried out without demarcation. "In the face of large scale demolition by DDA, such non-compliance by DM (South) with regard to demarcation exercise which is the basis for carrying out demolition activities, makes DM (south) complicit in the whole affair," said Gahlot's order. The DM (south) has been once again directed to comply with the directions to start fresh demarcation exercise with immediate effect, it added. AAP MLA Somnath Bharti had earlier urged the LG to stop the exercise and enforce the city Government's order for fresh demarcation.

Earlier, the Delhi HC had sought responses of the Government and the DDA to a plea seeking a bar on demolition in the area till a fresh "demarcation report" has been made. Without interfering with the demolition exercise, Justice Mini Pushkarna issued notice on the petition by Mehrauli Minorities Resident And Shop Owners Welfare and directed that the matter be placed before the Division Bench (DB) headed by the Chief Justice, where a similar matter is already pending.

दैनिक भास्कर

महरौली में तोड़फोड़ पर रोक उपराज्यपाल ने निर्देश दिए

भास्कर न्यूज | नई दिल्ली

महरौली में डीडीए की तरफ से हो रही तोड़फोड़ की कार्रवाई पर उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने रोक लगा दी है। एलजी वीके सक्सेना ने डीडीए को अगले निर्देश तक महरौली और लाधा सराय में चल रहे विध्वंस अभियान को रोकने का निर्देश दिया है। दिल्ली के महरौली में डीडीए ने अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया। आर्कियोलॉजिकल पार्क में जी 20 शिखर सम्मेलन की बैठक होगी। इससे पहले कार्रवाई पूरी की जानी है। डीडीए के अनुसार, दिसंबर में लोगों को सचेत करने के लिए दीवारों पर नोटिस चिपकाए गए थे। नोटिस के माध्यम से अवगत कराया गया था, लेकिन लोगों ने नोटिस को गंभीरता से नहीं लिया। इस कारण तोड़फोड़ की कार्रवाई शुरू की गई। हाईकोर्ट के आदेश के तहत डीडीए ने अतिक्रमण अभियान चलाया।

हाई कोर्ट ने मांगा जवाब

दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक नई 'सीमांकन रिपोर्ट' तैयार किये जाने तक शहर के दक्षिणी हिस्से में स्थित महरौली पुरातत्व पार्क में मकानों और दुकानों को ढहाये जाने पर रोक लगाने की मांग करने वाली एक याचिका पर मंगलवार को दिल्ली सरकार और दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) से जवाब मांगा। न्यायमूर्ति मिनी पुष्कर्णा ने नोटिस जारी किया।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

नई दिल्ली। बुधवार • 15 फरवरी • 2023 राष्ट्रीय सहारा ----DATED----

तोड़फोड़ रुकवाने के लिए एलजी से मिले भाजपा नेता

नई दिल्ली (एसएनबी)। दक्षिणी दिल्ली के लाडो सराय में अनधिकृत निर्माण के विरुद्ध चल रहे दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के अभियान को लेकर मंगलवार को भाजपा नेताओं ने उप-राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना से मुलाकात की। भाजपा के इस प्रतिनिधिमंडल में प्रदेश प्रभारी बैजयंत जय पांडा, प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, सांसद रमेश बिधूड़ी शामिल थे। मुलाकात के दौरान उन्होंने लाडो सराय का मामला उठाया और घरों को गिराने का अभियान रुकवाने का आदेश देने का आग्रह किया। भाजपा नेताओं के मुताबिक उप-राज्यपाल ने अभियान को रुकवाने का आश्वासन दिया है।

भाजपा नेताओं ने उप-राज्यपाल के सामने पूरी तस्वीर रखी और बताया कि यह लोग 3 से 4 दशक से उस जगह पर रह रहे हैं और उनके पास जमीन के अधिकृत दस्तावेज भी हैं। कुछ लोगों ने कर्ज लेकर घर बनाए हैं, इसके दस्तावेज भी उनके पास हैं। भाजपा प्रतिनिधिमंडल के मुताबिक उपराज्यपाल ने बताया कि दिल्ली सरकार के राजस्व विभाग की लापरवाही एवं गलत नक्शों को पेश करने की वजह से यह संकट पैदा हुआ है। मुलाकात के दौरान भाजपा नेताओं ने एक-एक मुद्दे पर गंभीरता से अपनी बात रखी।

महरौली में अतिक्रमण पर चलता बुलडोजर (बाएं) सामान समेटती महिला। फोटो : प्रेट्र

डीडीए के अतिक्रमण हटाओ अभियान पर रोक लगाने को नोटिस

■ अगली सुनवाई 17 को दो सदस्यीय पीठ के समक्ष होगी

कोर्ट के आदेश पर ही अवैध निर्माण हटाने का अभियान चल रहा है : डीडीए

नई दिल्ली (एसएनबी)। दिल्ली सरकार के राजस्व मंत्री की 11 फरवरी के आदेश का हवाला देकर दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के अवैध निर्माण हटाने के अभियान पर रोक लगाने की मांग करते हुए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। महरौली पुरातत्व पार्क के पास लाडो सराय में डीडीए की कार्रवाई चल रही है। न्यायमूर्ति मिनी पुष्करणा ने डीडीए को नोटिस जारी किया और फिलहाल इस मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति ने इसके साथ ही मामले की सुनवाई उस दो सदस्यीय पीठ के समक्ष भेजने का निर्देश दिया जो इस मामले की पहले से सुनवाई कर रही है। इस मामले में सुनवाई 17 फरवरी को होगी।

डीडीए का कहना है कि वह कोर्ट के आदेश के तहत ही अवैध निर्माण हटाने का अभियान चला रहा है। सरकार के मंत्री ने अपने आदेश में नए सिरे से सीमांकन करने के बाद अवैध निर्माण हटाने की बात कही थी। डीडीए की अवैध निर्माण हटाने पर रोक लगाने की मांग करते हुए महरौली माइनॉरिटी रेजिडेंट एंड शॉप ओनर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने याचिका दाखिल की है। उसने मंत्री के आदेश का हवाला देते हुए डीडीए की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की है।

हाईकोर्ट के आदेश पर कार्रवाई : डीडीए के वकील ने कहा कि तोड़फोड़ की कार्रवाई दिल्ली वक्फ बोर्ड बनाम दिल्ली विकास प्राधिकरण और अन्य नामक याचिका में हाईकोर्ट के ही दो सदस्यीय पीठ के आदेश के आधार पर की जा रही है। उन्होंने कहा कि उक्त पीठ ने समय-समय पर महरौली पुरातत्व उद्यान क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए कई दिशा-निर्देश दिए हैं। वकील ने 23 दिसम्बर, 2022 के हालिया आदेश का हवाला देते हुए कहा कि उक्त पीठ ने डीडीए के इस रुख पर ध्यान दिया कि तोड़फोड़ की कार्रवाई 2021 की सीमांकन रिपोर्ट के अनुसार किया जाएगा। उसने कोई अंतरिम रोक लगाने से भी इनकार कर दिया था।

राष्ट्रीय सहारा

एलजी ने लगाया बुलडोजर पर ब्रेक

■ कोर्ट के आदेश के अनुपालन में धरोहर स्मारकों के आसपास किसी भी अवैध अतिक्रमण या अनधिकृत कब्जे को तुरंत हटा दिया जाएगा : उपराज्यपाल

नई दिल्ली (एसएनबी)। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मंगलवार को डीडीए को अगले निर्देश तक महरौली और लोधा सराय गांवों में अतिक्रमण रोधी अभियान रोकने का निर्देश दिया।

राज निवास के अधिकारियों ने कहा कि निवासियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने उपराज्यपाल से मुलाकात की और 2021 में आप सरकार द्वारा किए गए भूमि सीमांकन में 'विसंगतियों' का हवाला देते हुए अतिक्रमण रोधी अभियान से राहत मांगी। उपराज्यपाल ने, हालांकि, दोहराया कि वैध ढांचों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, लेकिन हाईकोर्ट के आदेशों के अनुपालन में धरोहर स्मारकों के आसपास किसी भी अवैध अतिक्रमण या अनधिकृत कब्जे को तुरंत हटा दिया जाएगा'। 'निवासियों की शिकायतों को विस्तार से सुनने के बाद, उपराज्यपाल ने आश्वासन दिया कि भूमि के किसी भी सही मालिक के साथ कोई अन्याय नहीं किया जाएगा।'

उन्होंने कहा,'निवासियों की शिकायतों पर पूरी तरह से ध्यान दिया जाएगा और यदि किसी अधिकारी की ओर से कोई गलत काम पाया गया, तो दोषी अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।' अतिक्रमण रोधी अभियान दक्षिण दिल्ली में जी20 बैठक से एक महीने पहले शुक्रवार को शुरू हुआ था।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS अमर उजाला -----------------DATED- नई दिल्ली | बुधवार, 15 फरवरी 2023

महरौली तोड़फोड़ मामले में दिल्ली सरकार और डीडीए से मांगा जवाब

17 फरवरी को सुनवाई होने पर ही खंडपीठ मामले में अगला आदेश देगी

नई सीमांकन रिपोर्ट तैयार किए जाने तक मकानों और दुकानों को ढहाये जाने पर रोक की मांग संबंधी याचिका

अमर उजाला ब्यूरो

नई दिल्ली। हाईकोर्ट ने एक नई सीमांकन रिपोर्ट तैयार किए जाने तक महरौली पुरातत्व पार्क में मकानों और दुकानों को ढहाए जाने पर रोक लगाने की मांग संबंधी याचिका पर मंगलवार को दिल्ली सरकार और दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति मिनी पुष्कर्णा ने फिलहाल तोड़फोड़ कार्रवाई में हस्तक्षेप करने से इन्कार करते हुए महरौली माइनॉरीटीज रेजिडेंट एंड शॉप ऑनर्स वेलफेयर की याचिका पर नोटिस जारी किया है। साथ ही निर्देश दिया कि याचिका को मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ के समक्ष रखा जाए जहां इसी तरह की एक याचिका पहले से लंबित है। उन्होंने कहा सुनवाई 17 फरवरी को होने पर ही खंडपीठ मामले में अगला आदेश देगी।

उल्लेखनीय है कि अधिकारियों ने अतिक्रमण रोधी अभियान के तहत महरौली पुरातत्व पार्क में करीब 20 बहुमंजिला भवन, बड़ी संख्या में दुकानों और मकान तथा एक निजी स्कूल भवन की पहचान ऐसे ढांचे के रूप में की है जो पिछले कुछ दशकों में अवैध रूप से निर्मित किए गए हैं।अधिकारियों ने इन ढांचों को ढहाए जाने पर रोक लगाने के लिए कुछ पक्षकारों द्वारा अदालत का रुख किये जाने के बाद कहा कि केवल उन ढांचों को हटाया जाएगा जो किसी वाद का हिस्सा नहीं हैं। दक्षिण दिल्ली के इस पार्क में जी20 की एक प्रस्तावित बैठक से एक महीने पहले बीते शुक्रवार को यह अभियान शुरू किया गया है।

महरौली में लगातार पांचवें दिन मंगलवार को डीडीए ने तोड़फोड़ अभियान जारी रखा। इस दौरान डीडीए की टीम को लोगों के विरोध का भी सामना करना पड़ा। अमर उजाला

पांचवें दिन भी चला डीडीए का बुलडोजर

नई दिल्ली। डीडीए ने महरौली में लगातार पांचवें दिन मंगलवार को भी करीब छह मकानों पर बुलडोजर चलाया। इस दौरान लोगों ने डीडीए की कार्रवाई का विरोध किया। प्रभावितों ने डीडीए की कार्रवाई को गलत ठहराते हुए अपने मकानों के कागजात दिखाए। उन्होंने डीडीए के खिलाफ नारेबाजी की, लेकिन दिल्ली पुलिस कर्मचारियों के समक्ष उनकी एक नहीं चली और वे अपने आशियाने को टूटते देखते रहे।

डीडीए के अधिकारी दलबल के साथ महरौली में तोड़फोड़ की कार्रवाई को अंजाम देने पहुंचे। तोड़फोड़ दस्ते के आते ही लोग विरोध करने लगे। लोगों ने डीडीए की कार्रवाई को गलत ठहराते हुए अपने मकानों को सही करार दिया। उन्होंने अपने मकानों के कागजात भी दिखाए, लेकिन डीडीए के अधिकारियों ने उनकी एक नहीं सुनी और तोड़फोड़ की कार्रवाई पर अड़े रहे। इस बीच दिल्ली पुलिस ने लोगों को पीछे हटा दिया। इसके बाद लोगों ने डीडीए के खिलाफ नारेबाजी करनी शुरू कर दी, लेकिन उनका विरोध काम नहीं आया और डीडीए ने मकानों को तोड़ना शुरू कर दिया। यहां डीडीए ने 20 बहुमंजिला इमारतों, बड़ी संख्या में दुकानों और मकानों व एक निजी स्कूल के भवन को तोड़ने के लिए चिह्नित किया है। ब्यूरो

विभाग की लापरवाही से टूट रहे घर : भाजपा

नई दिल्ली। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बैजयंत जय पांडा के नेतृत्व में मंगलवार को एक प्रतिनिधिमंडल महरौली मुद्दे को लेकर उपराज्यपाल वीके सक्सेना से मिला। इस दौरान समस्याओं से अवगत कराकर तोड़फोड़ अभियान को रोकने की मांग की गई।

प्रभावित लोगों के साथ पहुंचे भाजपा नेताओं ने उपराज्यपाल को बताया कि ज्यादातर लोग चार दशक से बसे हैं और उनके पास मकानों का पंजीकरण है। साथ ही उन्हें बैंक ऋण भी मिले हैं। दिल्ली सरकार के राजस्व विभाग की लापरवाही के कारण बने गलत नक्शों के कारण लोगों के घरों पर संकट मंडरा रहा है। प्रतिनिधिमंडल के साथ एक घंटे तक चली बैठक के बाद उपराज्यपाल ने आश्वस्त किया कि वह किसी भी अधिकृत घर को टूटने नहीं देंगे और वह यह सुनिश्चित करेंगे कि बिना प्रशासनिक प्रक्रिया पूरी किए कोई कार्रवाई नहीं हो।

साथ ही, उन्होंने मकानों पर तोड़फोड़ की कार्रवाई तुरंत रुकवाने का भी आश्वासन दिया। बैठक के बाद बैजयंत जय पांडा, कार्यकारी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा व सांसद रमेश बिधूड़ी ने बताया कि उपराज्यपाल ने तुरंत प्रभाव से तोड़फोड़ रुकवाने का आश्वासन देकर बड़ी राहत दी है। ब्यूरो

राजस्व मंत्री ने पैमाइश कराने के दिए आदेश

नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने महरौली तोड़फोड़ मामले में जिला मजिस्ट्रेट (दक्षिण) के प्रति नाराजगी जताई। दिल्ली सरकार के निर्देश के बावजूद अधिकारी ने प्रभावित इलाके की पैमाइश नहीं की। राजस्व मंत्री कैलाश गहलोत ने मंगलवार को एक बार उनको तोड़फोड़ वाले इलाके की पैमाइश करने के आदेश दिए है। उन्होंने आदेश की प्रति डीडीए के उपाध्यक्ष व मंडलायुक्त को भी भेजी है। राजस्व मंत्री कैलाश गहलोत ने जिला मजिस्ट्रेट (दक्षिण) को भेजे पत्र में कहा कि महरौली में तोड़फोड़ की कार्रवाई से प्रभावित हुए लोगों ने गलत पैमाइश होने का आरोप लगाया है । इस कारण उनको गत 11 फरवरी को दोबारा पैमाइश करने के आदेश दिए थे, लेकिन इलाके की दोबारा पैमाइश नहीं की गई। ब्यूरो

उपराज्यपाल आप सरकार के सामने झुके : भारती

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं विधायक सोमनाथ भारती ने मंगलवार को कहा कि पूरी दिल्ली में हाहाकार मचने के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सामने उपराज्यपाल को झुकना पड़ा। उन्होंने महरौली में दोबारा सीमांकन करने की हमारी मांग को मान लिया है। उन्होंने कहा कि भाजपा का कहना कि यह सीमांकन आप सरकार ने किया है। वह केजरीवाल सरकार को बदनाम करने की साजिश है। जिस सीमांकन रिपोर्ट के आधार पर डीडीए ने 12 दिसंबर को ध्वस्तीकरण आदेश जारी किया है, वो सीमांकन मुख्यमंत्री और राजस्व मंत्री के संज्ञान में नहीं था। संविधानिक व्यवस्था को दरकिनार करते हुए उपराज्यपाल ने साउथ दिल्ली के जिलाधिकारी का दुरुपयोग कर सीमांकन कराया गया। सीमांकन करने से पहले वहां रहने वाले व्यक्ति को नोटिस नहीं दिया गया और जनता को अपनी बात रखने का मौका नहीं दिया गया। ब्यूरो